Digital India
Power To Empower

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

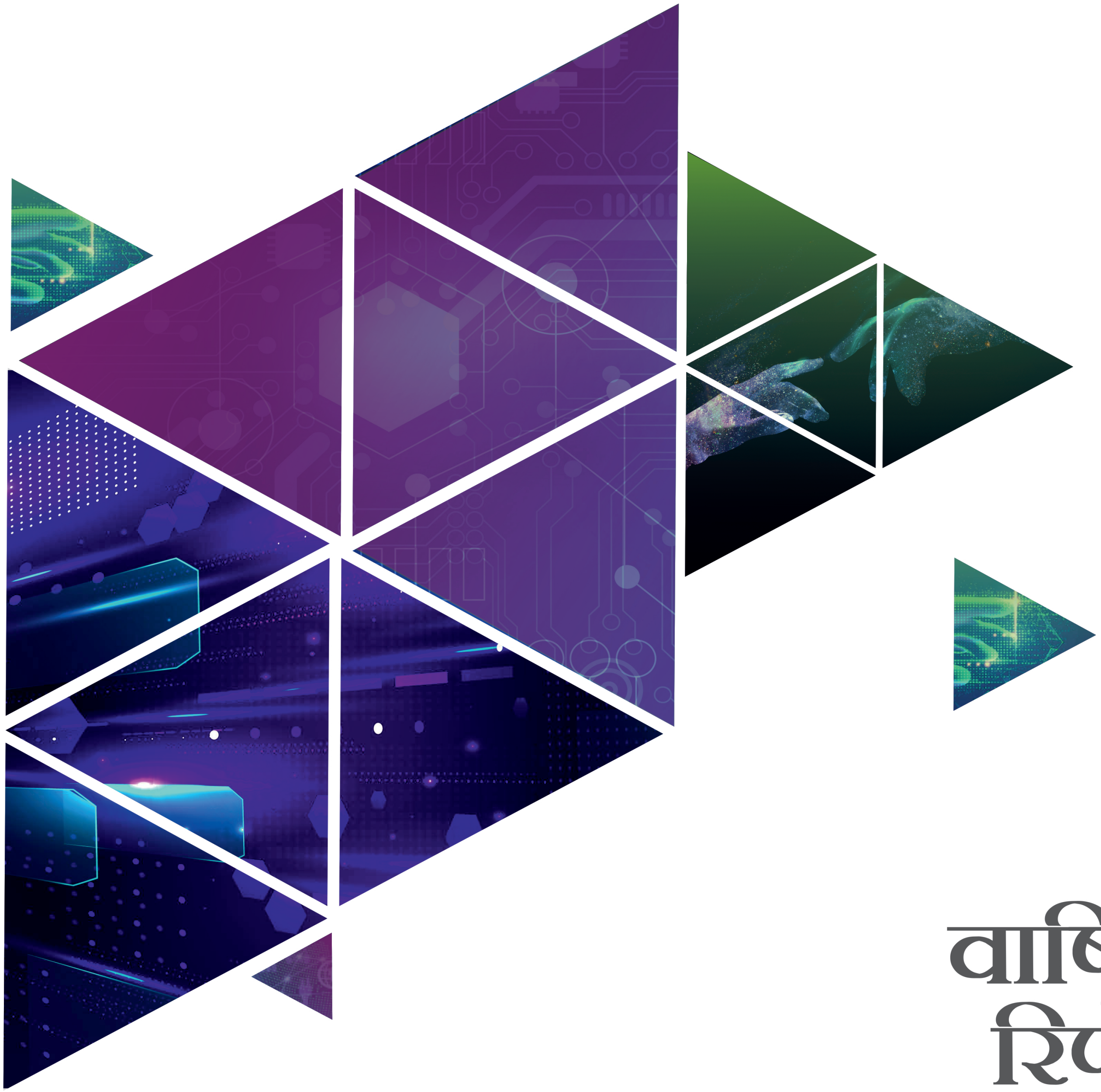

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

विषय सूची

कॉर्पोरेट जानकारी	--	02
प्रस्तावना	--	04
बोर्ड की रिपोर्ट	--	06
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	--	34
बैलेंस शीट	--	43
आय और व्यय का विवरण	--	44
नोट्स	--	46

कॉर्पोरेट जानकारी

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

श्री रविशंकर प्रसाद (पदेन)
कानून और न्याय; संचार; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार के माननीय मंत्री (07/07/2021 तक)

उपाध्यक्ष

श्री संजय शामराव धोत्रे (पदेन)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी; शिक्षा मंत्रालय और संचार मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री 14/06/2019 से 07/07/2021 तक

निदेशक

श्री अजय प्रकाश साहनी, आईएएस (पदेन)
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव

श्री अरविंद गुप्ता
MyGov-डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ (30/06/2019 तक)

श्री एम.एस. राव, आईएएस
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और सीईओ (22/10/2019 तक)

श्री सूर्यनारायणन गोपालकृष्णन, आईएएस
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और सीईओ, (04/12/2019 से 31/05/2020 तक)

श्री अभिषेक सिंह, आईएएस
राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग-डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ (04/12/2019 से)
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक और सीईओ (20/07/2020 से)

सुश्री ज्योति अरोड़ा, आईएएस
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार (26/12/2019 से)

वरिष्ठ अधिकारी

अनुसंधान एवं विकास
श्री वी.के. भाटिया, वरिष्ठ निदेशक (अनुसंधान), डीआईसी (31/01/2020 तक)
श्री विनय ठाकुर, वरिष्ठ निदेशक (अनुसंधान), डीआईसी (01/02/2020 से)
श्री भवानी प्रसाद येरापल्ली, अनुसंधान निदेशक, डीआईसी (20/07/2019 तक)
प्रो. नरेंद्र आहूजा, निदेशक, आईटी अनुसंधान अकादमी (31/12/2019 तक)

वित्त
श्री जॉर्ज अरकल, निदेशक (प्रशासन और वित्त), डीआईसी (31/03/2020 तक)
श्री नीरज कुमार, निदेशक (वित्त), डीआईसी (01/04/2020 से 07/10/2021 तक)
श्री के.पी. शिवदास, मुख्य प्रबंधक (वित्त), डीआईसी

सांविधिक लेखा परीक्षक
मेसर्स यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
2, समाधान, पहली मंजिल, अगरकर चौक, अंधेरी (पूर्व) रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई - 400069।

शाखा लेखा परीक्षक
मेसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
18/12, W.E.A, आर्य समाज रोड, पूसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005

कॉर्पोरेट कानून सलाहकार
मेसर्स ढोलकिया एंड एसोसिएट्स LLP
कंपनी सचिव
MHB-11/A-302, सर्वोदय Co.op. Hsg. Soc. Ltd., भविष्य निधि बिल्डिंग के पास, खेरनगर, सर्विस रोड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय:
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
#2, चौथी मंजिल, समृद्धि वेंचर पार्क, सेंट्रल एमआईडीसी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400093
सीआईएन: U72900MH2001NPL133410
दूरभाष: (022) 28327505; 28312931/30
www.dic.gov.in

अनुसंधान केंद्र:
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन - राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी)
चौथी मंजिल, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : (011) 24303714
www.negd.gov.in

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन – MyGov
कमरा नंबर 3015, तीसरी मंजिल, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : (011) 24301812
www.mygov.in

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन –टीडीडीडी
इलेक्ट्रॉनिक निकेतन एनेक्सी, एमईआईटीवाई, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : (011) 24303500/555/599
www.dic.gov.in

प्रस्तावना

मुझे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) की वर्ष 2019-20 की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह संगठन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा परिकल्पित 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के विजन, उद्देश्यों और लक्ष्यों को साकार करने में नेतृत्व और मार्गदर्शन करता है। डीआईसी विभिन्न क्षेत्रों में 'डिजिटल इंडिया' के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण, सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) को प्रोत्साहित करने, इनोवेशन और टेक्नोलॉज़ी को बढ़ावा देने में केंद्र/राज्यों के मंत्रालयों/विभागों को रणनीति संबंधी सहायता प्रदान करती है। कंपनी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को तकनीकों का लाभ पहुँचाने की दिशा में भी काम करती है।

DigiBunai™ (बुनाई के लिए एक ओपन-सोर्स CAD टूल) को देश भर के बुनकरों/डिजाइनरों और कारीगरों के लिए डिजिटल समाधान प्रदान करने हेतु बनाया गया है। इसी तरह, Chic™ (CAD टूल) को कढ़ाई के क्षेत्र में कारीगरों की मदद करने के लिए बनाया गया है। मिजोरम राज्य में इसका फील्ड परीक्षण किया गया है और संभावित लाभार्थियों को सॉफ़्टवेयर का इष्टतम उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। चार संस्थानों: रेशम उत्पादन विभाग, महिला पॉलिटेक्निक संस्थान, ब्लिट्ज इंस्टीट्यूट ऑफ़ क्रिएटिव आर्ट्स (बीआईसीए), मिजोरम विश्वविद्यालय ने अपनी प्रयोगशालाओं में इस सॉफ़्टवेयर को इनस्टॉल कर लिया है।

कौशल वृद्धि, उद्यमिता विकास के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए बसनी, वाराणसी में ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क (आरडब्ल्यूटीपी) भी स्थापित किया गया है, जो सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बाजार के साथ संपर्क करने में सहायता प्रदान करता है। यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा इसकी साइंस फॉर इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट (SEED) योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के मझवा ब्लॉक में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से विकास और आजीविका संवर्धन के लिए आईसीटी इंटरवेंशन भी कार्यान्वित किया गया है। इसी तरह महाराष्ट्र के लातूर जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में सशक्तिकरण हेतु आईसीटी आधारित क्षमता निर्माण भी किया जा रहा है।

इंटरएक्टिव सूचना प्रसार प्रणाली (आईआईडीएस) जो कि एक पुश एंड पुल आधारित प्रणाली है, का उपयोग किसानों को कृषि संबंधी सलाह देने के लिए किया जा रहा है। आईआईडीएस कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों की पहुंच बढ़ाने में एक उपयोगी टूल साबित हुआ है। यह किसानों को स्थानीय कृषि-वैज्ञानिकों के साथ अपनी मूल भाषाओं में बातचीत करने की सुविधा देता है(आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु भाषा में और मेघालय में खासी और गारो भाषाओं में इसका कार्यान्वयन हो चुका है। आईआईडीएस को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की राष्ट्रीय मोबाइल गवर्नेंस पहल के तहत पुश-आधारित 'टेक्स्ट एंड वॉइस' संदेश सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है। वर्ष के दौरान, 35,190 किसान आईआईडीएस के साथ पंजीकृत हुए और 31 मार्च 2020 तक किसानों की कुल संख्या 1,11,734 (46 प्रतिशत की वृद्धि) हो गई। कार्यक्रम के तहत पंजीकृत किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और जिला कृषि परामर्श एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्रों (डीएएटीटीसी) द्वारा आवश्यकता अनुसार 68.05 लाख टेक्स्ट और 11.28 लाख वॉइस संदेश भेजे गए।

वर्ष के दौरान, दिव्यांगजनों के लिए "पुनर्भवः™" नामक एक सूचनात्मक वेब पोर्टल, रोगियों की हृदय-गति की परिवर्तनशीलता को ट्रैक करने हेतु मेडिकल पेशेवरों के लिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम फॉर हार्ट रेट वरिएबिलिटी (सीएचआरवी) विश्लेषण प्रणाली, और श्रवण बाधित बच्चों के लिए विजुअल स्पीच ट्रेनिंग सिस्टम(वीएसटीएस) बनाया और कार्यान्वित किया गया। वीएसटीएस ने विजुअल फ़ीडबैक फीचर के साथ स्पीच ट्रेनिंग में श्रवण बाधित बच्चों की सहायता की है।

विश्वेश्वरैया योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के क्षेत्र में पीएचडी को बढ़ावा देने और छात्रों को इसके लिए सहायता प्रदान करने के लिए है। इस योजना का लाभ पूर्णकालिक छात्रों के साथ-साथ अंशकालिक छात्र भी उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 949 पूर्णकालिक और 212 अंशकालिक शोध छात्र पीएचडी कर रहे हैं (संस्थानों द्वारा प्रदान वर्षांत जानकारी के अनुसार)।

डिजीलॉकर दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने और उन्हें आसानी से प्राप्त करने के लिए एक आसान माध्यम है। विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए प्रामाणिक दस्तावेजों को डिजीलॉकर की मदद से एक्सेस किया जा सकता है। वर्ष के दौरान, इसमें 1 करोड़ 67 लाख नए उपयोगकर्ता जुड़े, जिनकी कुल संख्या 81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3 करोड़ 73 लाख तक पहुँच चुकी है। इसी दौरान डिजीलॉकर की मदद से जारी किए गए दस्तावेज़ों की संख्या 327 करोड़ से बढ़कर 375 करोड़ (14.68% वृद्धि) तक पहुँच गई।

UMANG (यूनिफ़ाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस)को भारत में मोबाइल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। उमंग की मदद से, नागरिक राज्यों और केंद्र के विभिन्न सरकारी संगठनों की 1200 से अधिक सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा के साथ ऑन-डिमांड स्केलेबिलिटी की सुविधा भी प्रदान करता है। रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस) को भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली ई-सेवाओं (ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंटर) पर तुरंत ऑनलाइन फ़ीडबैक देने के लिए बनाया गया है। वर्ष के दौरान, उमंग के साथ 75 लाख नए उपयोगकर्ता जुड़े। इसके साथ 31 मार्च, 2020 तक उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 1 करोड़ 91 लाख (39.26% वृद्धि) तक पहुंच गई।

वर्ष 2019-20 में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें सेंट्रल लाइन मंत्रालयों (सीएलएम) के लिए ई-गवर्नेंस में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्रेन द ट्रेनर (टीटीटी) कार्यक्रम, उभरती हुई तकनीकों (क्लाउड, डेटा विश्लेषण, जीआईएस आदि)के ई-गवर्नेंस क्षेत्रों पर आधारित विषयगत कार्यशालाएं, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम), डिजिटल लॉकर, ई-साइन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और प्राप्तियों जैसी सामान्य सेवा सूचना पहल; जागरूकता बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षित भारत डीप डाइव प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और साथ ही साथ सरकारी विभागों को साइबर रेजिलिएंट आईटी सेटअप में सक्षम बनाने के लिए उठाए जाने कदम शामिल हैं। डिजिटल शासन और प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी-डीजी एंड एम); और SeMT (स्टेट ई-मिशन टीम्स) ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्देश्य नए नियुक्त हुए कर्मचारियों को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकारी प्रक्रियाओं, कामकाज और विभिन्न पहलों से अवगत कराना है।

'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)' पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का विचार बनाया गया है ताकि आम आदमी को एआई और संबंधित तकनीकों के लाभ प्रदान किए जा सके। कार्यक्रम में नौ प्राथमिकता क्षेत्रों को निर्धारित किया है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर, परिवहन, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त और भारतीय भाषाएं। ये उत्कृष्ट केंद्र (सीओईएस) एआई आधारित समाधानों के विकास और कार्यान्वयन हेतु स्टार्ट-अप/उद्योगों की सहायता करने के लिए हैं। एआई और संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए सीओई/स्टार्टअप का उपयोग करने के लिए अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों की भी परिकल्पना की गई है। सरकारी मंत्रालयों, राज्यों और अन्य एजेंसियों में इस पहल को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (IndEA) डिवीजन का गठन किया गया है। ओपन एपीआई प्लेटफॉर्म (जो कि एक डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है) को विभिन्न सूचना प्रणालियों को जोड़ने, कई सूचना प्रणालियों के साथ निर्बाध रूप से काम करने, और बड़े डेटा सेट को भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सरकारी सेवाओं में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए MyGov के इंटरैक्टिव अभियान शुरू किए गए। युवाओं के लिए "अटल टिंकरिंग लैब मैराथन" का शुभारंभ किया गया जिसका उद्देश्य स्कूलों में समस्याओं को समझने और माहौल में सुधार लाने की दिशा में था। जनवरी 2020 में माननीय प्रधान मंत्री के साथ छात्रों के लिए "परीक्षा पे चर्चा" भी आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों ने न केवल आम समस्याओं और उनके समाधान की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि वे सरकार और नागरिकों को एक मंच पर एक साथ लाए, जिससे आमने-सामने बातचीत सुनिश्चित हुई।

इस साल के अंत में, हमने कोविड-19 संक्रमण की एक अप्रत्याशित स्थिति का भी सामना किया है, जिसने पहले ही दुनिया के अधिकांश देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका इलाज जल्द नहीं मिलने पर हम केवल महामारी के प्रभाव की कल्पना ही कर सकते हैं। इसे फैलने से रोकने के लिए पूर्ण लॉकडाउन के अलावा तकनीकी रूप से सक्षम होने की भी आवश्यकता है जो आगे की सभी गतिविधियों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम प्रदान करेंगी। शासन में तकनीकी प्रगति लाने और ग्रामीण आबादी को कंप्यूटर-साक्षर बनाने के हमारे प्रयास ऐसे मुश्किल भरे समय में एक स्थिर राष्ट्र बनने की नींव रखेंगे।

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन को अपनी गतिविधियों और उपलब्धियों में निदेशक मंडल (बीओडी), कंपनी के सदस्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, और विभिन्न सहयोगियों और हितधारकों का विचारशील नेतृत्व और दूरदृष्टि वाले प्रतिष्ठित लोगों की सलाह पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के माननीय मंत्री और अध्यक्ष, बीओडी, और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के माननीय राज्य मंत्री और डिप्टी चेयरमैन, बीओडी से प्राप्त मार्गदर्शन को स्वीकार करता हूं। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं और प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए नए जोश के साथ काम करने का संकल्प लेता हूं।

अभिषेक सिंह, आईएएस
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बोर्ड की रिपोर्ट

बोर्ड की रिपोर्ट

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व में मीडिया लैब एशिया) के निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी उन्नीसवीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम (करोड़ रुपये में)

विवरण	**31 मार्च, 2020**	**31 मार्च, 2019**
आय	**173.22**	**234.12**
अनुसंधान और/या विकास व्यय	112.19	141.25
अन्य व्यय	61.03	92.87
कुल खर्च	**173.22**	**234.12**

कंपनी का प्रदर्शन

1. परिचय

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (**DIC**) को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (**MeitY**), भारत सरकार द्वारा स्थापित और प्रोत्साहन दिया गया है। यह कंपनी लाभ (कंपनी अधिनियम**, 2013** की धारा **8)** के लिए स्थापित नहीं की गई है। कंपनी का उद्देश्य समाज के जमीनी स्तर पर सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लाभ देना है। इसका लक्ष्य 'इनोवेशन फॉर डिजिटल इनक्लूजन' है।

कंपनी बोर्ड के अध्यक्ष माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं और अन्य निदेशकों में MeitY के लिए माननीय राज्य मंत्री हैं; सचिव, MeitY; एएस एंड एफए, MeitY; एमडीऔरसीईओ, डीआईसी; CEO, MyGov और उद्योग व शिक्षा जगत के अन्य प्रतिष्ठित सदस्य।
आजीविका संवर्धन (कृषि, कारीगरों और बुनकरों के लिए डिजाइन उपकरण, एसएमई के लिए ईआरपी आदि), स्वास्थ्य देखभाल और विकलांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण (पीडब्ल्यूडी) इसके प्रचालन क्षेत्र हैं। इस प्रयास में यह सरकार (उपयोगकर्ता विभाग / मंत्रालय), अनुसंधान एवं विकास संस्थान, शिक्षा, उद्योग, गैर सरकारी संगठन और अन्य संगठन / उद्योग के साथ काम कर रहा है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) डीआईसी के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग (आईबीडी) है जो MeitY की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के कार्यक्रम प्रबंधन को संभालता है। MyGov (भारत में सहभागी शासन के लिए नागरिकों को जोड़ने का एक ऑनलाइन मंच) डीआईसी के तहहत एक अन्य आईबीडी है।

यह डिवीजन जनता के लिए उपयोगी 'लैब टू लैंड' और 'अर्ली हार्वेस्ट' परियोजनाओं पर कात करता है। अपनी मुख्य गतिविधियों के अलावा, डिवीजन 2 प्रमुख कार्यक्रम लागू कर रहा है: सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आईटीआरए) और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी में विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना

2. 2019 - 2020 के दौरान उपलब्धियां

2.1. DigiBunai™ -

"बुनाई के लिए एक ओपन सोर्स CAD टूल"

DigiBunai™ टेक्सटाइल डिजाइनिंग के लिए एक ओपन सोर्स CAD सॉफ्टवेयर है, जो बुनाई से पहले संपूर्ण परिधान को डिजिटल रूप से देखने की क्षमता के साथ डिजाइन निर्माण, ग्राफ बनाने और जेकक्वार्ड कार्ड को पंचिंग करने के लिए प्री-लूम प्रक्रिया के समय को अनुकूलित करता है। इसमें विभिन्न रंगों, डिजाइनों और आकार का संयोजन भी शामिल है।

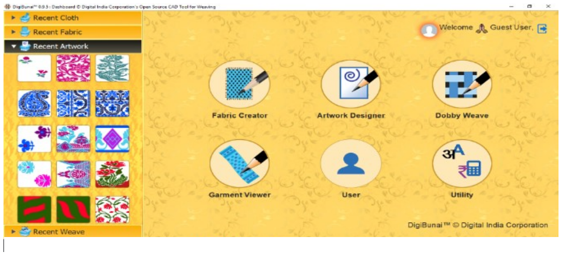

डैशबोर्ड - डिजिबुनाई ™ सॉफ्टवेयर

DigiBunai™ डब्बी और जेकक्वार्ड दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है :

डॉबी मॉड्यूल उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के नई—नई बुनाई बनाने में मदद करता है। इसमें एक बुनाई पुस्तकालय भी बन जाता है। इनमें विभिन्न रंग संयोजनों के विभिन्न कपड़े बनाने के लिए इन बुनाई की आवश्यकता होती है।

जैक्वार्ड मॉड्यूल जेकक्वार्ड डिज़ाइन (आर्टवर्क) के निर्माण में सहायक है, आर्टवर्क में बुनाई (आकृति / रंग आधारित) भरता है और विभिन्न प्रकार के ग्राफ़ (एकल रंग, बहु-रंग, विभाजित ग्राफ़ आदि) बनाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक पंचिंग मशीन के माध्यम से जेकक्वार्ड कार्डों को पंच करने और सीधे पंचिंग के लिए ग्राफ़ की छपाई करता है। गारमेंट व्यूअर रिपीट पैटर्न के सभी संभावित संयोजनों के साथ सभी घटकों को जोड़कर परिधान को वास्तविक रूप देता है।

उपयोगकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह अनुसार व्यापक उपयोगकर्ताओं श्रेणी तक पहुंचाने के लिए सॉफ़्टवेयर में उन्नत सुविधाओं को शामिल किया जा रहा है :

- इकत बुनाई तकनीक को बढ़ावा।
- पावरलूम और इलेक्ट्रॉनिक जेकक्वार्ड के साथ सामंजस्य
- सॉफ़्टवेयर वितरण की तरीकों में वृद्धि
- प्रशिक्षण और सहायता के लिए वेब पोर्टल
- विभिन्न बुनाई समूहों और कपड़ा संस्थानों में भेजना और परीक्षण।

DigiBinai™ एप्लिकेशन के उपयोगकर्ता समूहों में टेक्सटाइल डिज़ाइनर, ग्राफ़ मेकर (टेक्सटाइल डिज़ाइन), जैक्वार्ड कार्ड पंचिंग वेंडर, मास्टर वीवर्स और नेक्स्ट जेनरेशन (छात्र) शामिल हैं। 150 से अधिक उपयोगकर्ता DigiBinai™ एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें 15 कपड़ा संस्थान/प्रशिक्षण केंद्र और सामुदायिक डिजाइनर/बुनकर शामिल हैं। 550 बुनाई की एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है।

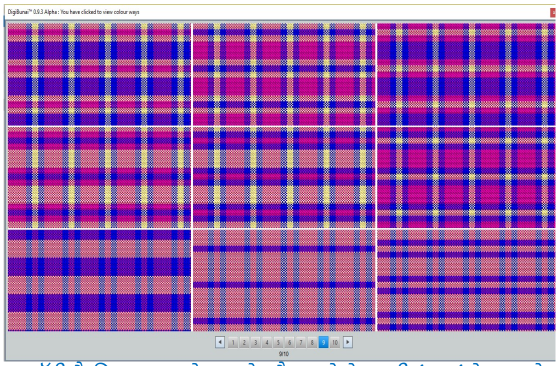

डॉबी फैब्रिक-कलरवेज़ ताने और बाने के सभी रंग संयोजन को दर्शाता है

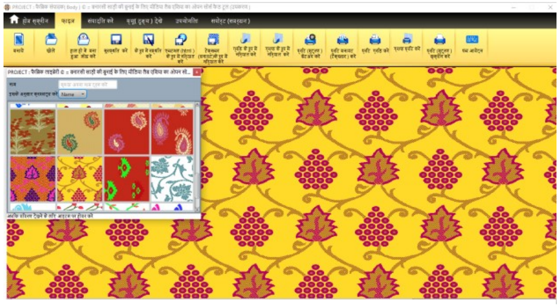

डिजिटल फैब्रिक ताने और बाने के संग्रथन को दर्शाता है

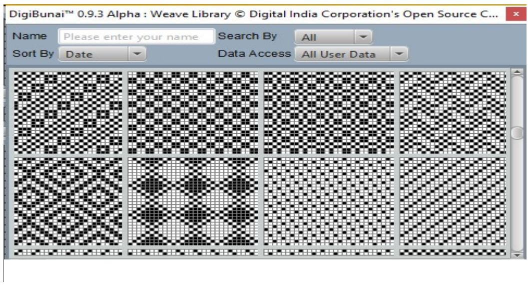

बुनाई संग्रहालय

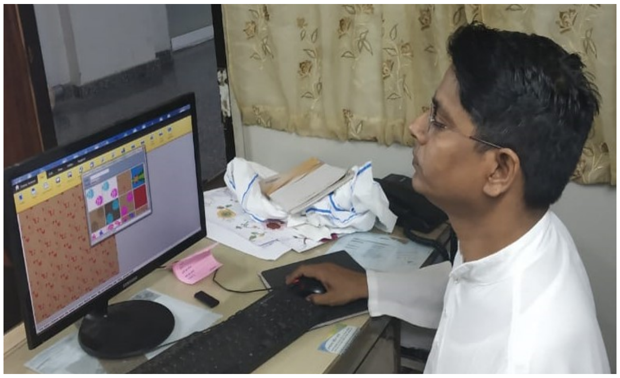

वाराणसी में DigiBunai™ का उपयोग करता हुआ डिज़ाइनर

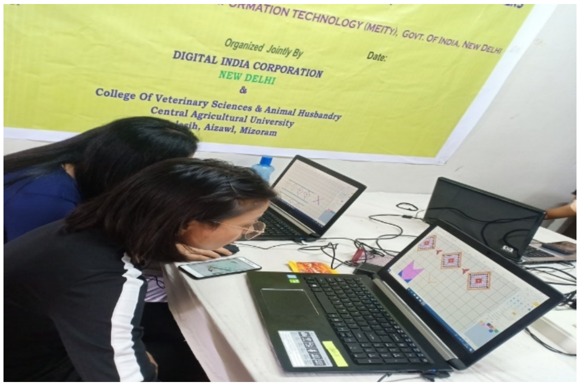

मिजोरम में DigiBunai™ का उपयोग करता हुआ डिज़ाइनर करते कर रहे हैं

2.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र (मिजोरम) के बुनकरों/डिजाइनरों और कारीगरों के लिए डिजिटल सोल्यूशन

यह परियोजना कढ़ाई और बुनाई के क्षेत्र में आईसीटी अनुप्रयोगों को बढ़ाने और कस्टमाइज करने के लिए शुरू की गई है और इस परीक्षण मिजोरम राज्य में कारीगरों और बुनकरों के लाभ के लिए चल रहा है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध

तकनीकियों को बढ़ाया/अनुकूलित किया जा रहा है। निम्न तकनीकियों को मिजोरम के कारीगरों और डिजाइनरों के अनुरूप बनाया जा रहा है। • Chic™ (कढ़ाई के लिए CAD टूल)

• DigiBunai™ (बुनाई/डिजाइनिंग के लिए CAD टूल)

अब तक, 100 से अधिक बुनकरों/डिजाइनरों/कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और अन्य 50 को प्रशिक्षित किया जाना है, जिसमें कुल 150 कारीगर शामिल होंगे जो मिजोरम के कारीगरों के लाभ के लिए लगातार इसका उपयोग करेंगे। 4 संस्थानों में 20 से अधिक उपयोगकर्ता DigiBunai™ सॉफ़्टवेयर लगाया गया है। इनमें रेशम उत्पादन विभाग, महिला पॉलिटेक्निक संस्थान, ब्लिट्ज इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स (बीआईसीए), मिजोरम विश्वविद्यालय और सामुदायिक बुनकर/डिजाइनर शामिल हैं।

- संभावित लाभार्थी: राज्य के 20,000+ बुनकर/डिजाइनर/कारीगर (अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 के अनुसार)

हथकरघा बुनकर

2.3. बसनी, वाराणसी में ग्रामीण महिला तकनीकी पार्क

महिला सशक्तिकरण के लिए एक ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क (आरडब्ल्यूटीपी) स्थापित किया गया है। इसमें कौशल वृद्धि, उद्यमिता विकास और आईसीटी का उपयोग करके बाजार संपर्क प्रदान करना शामिल है। इसका उद्देश्य डिजिटल डिजाइन निर्माण, खुदरा प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए शिल्प सीएडी (कंप्यूटर एडेड डिजाइन) उपकरण के माध्यम से 6,000 से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करना है। वर्ष में हुई प्रगति इस प्रकार है:

क्र. सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	पंजीकृत किए गए लाभार्थी	कुल लाभार्थी
1.	Chic™ (शिल्प के लिए CAD टूल)	159	229
2.	खुदरा प्रबंधन / ईडीपी	108	122
3.	खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण	200	200
4.	स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम	1420	1570
	कुल	**1887**	**2121**

इसके अलावा, पूरे वर्ष में **455** खाका पैटर्न और **40** तैयार उत्पाद तैयार किए गए हैं।

स्वयं अनुभव कर Chic™ का उपयोग करके कढ़ाई डिज़ाइनों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला कारीगर

यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से समानता, अधिकारिता और विकास (सीड) योजना के लिए विज्ञान के तहत कार्यान्वित की जा रही है।

2.4. 'मिर्जापुर (एक पिछड़ा जिला),उत्तर प्रदेश के मझवां ब्लॉक में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से विकास और आजीविका संवर्धन के लिए आईसीटी इंटरवेंशन

परियोजना का मुख्य उद्देश्य मिर्जापुर जिला (एमएसएमई और नाबार्ड द्वारा अधिसूचित एक पिछड़ा जिला) के मझवां ब्लॉक में विकास, आजीविका और ज्ञान वृद्धि के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित सोल्यूशन देना है। आवश्यक उपकरणों (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) और बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण एक संसाधन केंद्र की स्थापना की गई जिसमें **Chic™ (**कढ़ाई डिजाइनिंग के लिए **CAD** टूल) और खाका बनाने के लिए **500** व्यक्तियों, फलों और सब्जियों (खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण) के मूल्यवर्धन पर **800** व्यक्तियों को, रसोई बागवानी / डेयरी विकास गतिविधियों पर **800** व्यक्तियों को, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और बाजार संबंधों पर **200 (**लगभग **10%** व्यि **Chic™ CAD,** खाद्य प्रसंस्करण, रसोई बागवानी और डेयरी विकास से लाभान्वित) को जागरूक/परिचित करना है। इसके अलावा, **2200** व्यक्ति को टैबलेट/मोबाइल/प्रोजेक्टर के माध्यम से मल्टीमीडिया सामग्री का उपयोग कर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों का लाभ दिया जाएगा।

2.5. महाराष्ट्र के लातूर जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़ी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में सशक्तिकरण हेतु आईसीटी आधारित क्षमता निर्माण।

लातूर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र का एक पिछड़ा हुआ जिला है। मानसून न आने के कारण लातूर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार या अल्प-रोजगार है। जिले में आजीविका के अवसरों की कमी और खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और लड़कियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस परियोजना से महाराष्ट्र के लातूर जिले की **2000** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और लड़कियों को आईसीटी का सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना के निम्न उद्देश्य हैं :

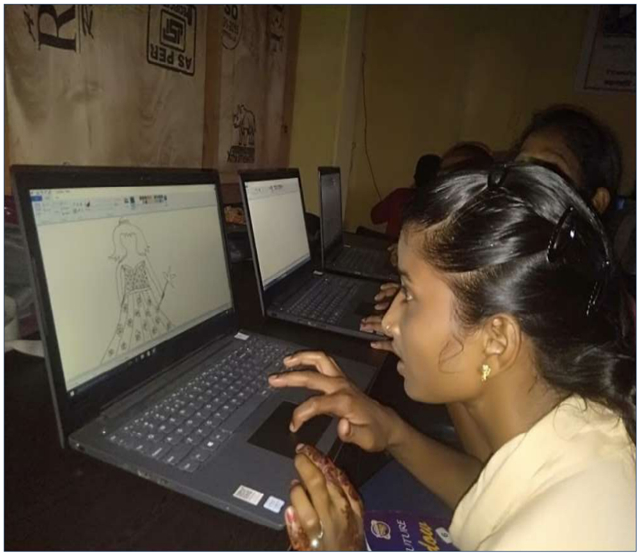

• महाराष्ट्र के लातूर जिले में उद्यमिता विकास के लिए एक आईसीटी संसाधन केंद्र की स्थापना

• ई-फाइनेंस, ई-कॉमर्स, ई-मार्केट आदि के क्षेत्र में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों और तकनीकों का निर्माण।

• निवारक स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान करने के लिए आरोग्य-सखी मॉडल की स्थापना।

• स्वास्थ्य जागरूकता और स्क्रीनिंग के लिए स्थानीयकृत डिजिटल सामग्री और मोबाइल एप्लिकेशन का निर्माण।

सेंटर सूक्ष्म उद्यम इकाइयों का विस्तार या स्थापना करने के लिए दीर्घकालिक स्थिरता के लिए उद्यमशीलता नेतृत्व और संसाधन सहयोग, बीज-निधि पूंजी (चुनिंदा लाभार्थियों के लिए) के लिए डोमेन विशिष्ट ज्ञान और लिंकेज के लिए सलाहकारों की मदद देगा। साथ ही समुदाय को घर बैठे सस्ती निवारक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी उम्मीद है।

2.6. इंटरैक्टिव सूचना प्रसार प्रणाली (आईआईडीएस)

आईआईडीएस एक पुल और पुश आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग वर्तमान में कृषि-सलाहकारों के वितरण के लिए किया जा रहा है। यह स्मार्ट फोन एप्लिकेशन, इंटरएक्टिव पोर्टल और इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम का एक संयोजन है। फ्रंट एंड पर मोबाइल

इंटरफेस और बैक एंड पर वेब इंटरफेस है। डेटा दोनों तरफ (किसानों से विशेषज्ञों और विशेषज्ञों से किसानों) से वॉयस, टेक्स्ट, इमेज और वीडियो के माध्यम से प्रेषित किया जाता है।

आईआईडीएस कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों की पहुंच बढ़ाने में एक उपयोगी उपकरण बन चुका है। यह किसानों को स्थानीय कृषि-वैज्ञानिकों के साथ उनकी मूल भाषाओं (वर्तमान में आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में तेलुगु और मेघालय में खासी व गारो) में सीधे बातचीत करने में सक्षम बनाता है। विशेषज्ञों के पास ज्ञान और किसान डेटाबेस होता है। यह उन्हें किसानों को समझने और उनके क्षेत्र की समस्याओं की बेहतर तरीके से अपने किसान को जानें (KYF) को सुलझाने में सक्षम बनाता है।

आईआईडीएस को नेशनल मोबाइल गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ एमईआईटीवाई के अंतर्गत धक्का आधारित 'टेक्स्ट एंड वॉयस' संदेश सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है।
वर्ष 2019-20 में आईआईडीएस निम्न में लगाया गया है :

क. अन्नपूर्णा कृषि प्रसार सेवा (एकेपीएस) : आईआईडीएस को आंध्र प्रदेश (एपी) और तेलंगाना के 22 जिलों में आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय (एएनजीआरएयू) और प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (पीजेटीएसएयू) के साथ एकेपीएस के रूप में लगाया गया।
वर्ष के दौरान, 16,410 नए किसान को सेवाओं के लिए पंजीकृत किया गया और कुल 76,161 किसान अब एकेपीएस सेवाओं के लिए पंजीकृत हैं। कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन पर किसानों से 2075 प्रश्न प्राप्त हुए जिनका समाधान केवीके / डीएएटीटीसी के वैज्ञानिकों / विशेषज्ञों द्वारा टोल फ्री नंबर के माध्यम से किया गया। आवश्यकता आधारित 68.05 लाख टेक्स्ट व 11.28 लाख वॉयस मैसेज कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) व जिला कृषि सलाहकार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्रों (डीएएटीटीसी) द्वारा कार्यक्रम के तहत पंजीकृत संबंधित किसानों भेजे गए।

ख. उत्तर-पूर्वी भारत के लिए मोबाइल आधारित कृषि सलाहकार प्रणाली (m4agriNEI)
डीआईसी ने बाजार को किसानों से जुड़ने के लिए अर्थात् 1917iTEAMS के लिए अपने एकीकृत कार्यक्रम के साथ आईआईडीएस के कार्यान्वयन के लिए मेघालय सरकार (जीओएम) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जीओएम ने डीआईसी के IIDS2.0 प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शिलांग में 45 सीट के एक कृषि प्रतिक्रिया केंद्र (एआरसी) की स्थापना की है। इसके मुंबई कार्यालय में स्थापित डीआईसी के मौजूदा संचार बुनियादी ढांचे का उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, मेघालय के 4632 नए किसानों को परियोजना के तहत पंजीकृत किया गया और इसके साथ ही पंजीकृत किसानों की कुल संख्या 22,068 हो गई है। 1917iTEAMS द्वारा किसानों के 498 प्रश्नों का समाधान किया गया। इस दौरान किसानों से उनकी उपज (खरीद - 129 और बिक्री - 236) के लिए 365 अनुरोध प्राप्त हुए और किसानों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर 543 ट्रिप में 561.52 टन कृषि उपज का परिवहन किया गया।
टोल फ्री नंबर द्वारा कॉल पर किसानों और खरीदारों को पंजीकृत करने की सुविधा, किसानों को उनकी उपज / फसलों के परिवहन के लिए वाहन बुक करने की सुविधा, खरीदार-विक्रेता से अनुरोध लेने और जानकारी साझा करने और कृषि, बागवानी, पशुधन और मछली पालन पर तकनीकी सलाह प्रदान करने की सुविधा जैसी नई सुविधाएं को जोड़कर आईटी प्लेटफॉर्म (IIDS 2.0) को समृद्ध बनाया गया। आईआईडीएस में विशिष्ट भूमिकाओं और विशेषताओं के साथ निम्नलिखित नए लॉगिन बनाए गए हैं:

- सदस्य-सचिव 1917iTEAMS
- कार्यक्रम प्रबंधक (पीएम)
- कृषि संसाधन केंद्र (एआरसी) समन्वयक
- आने वाले संचार अधिकारी (आईसीओ) - स्तर 1
- आने वाले संचार अधिकारी (आईसीओ) - स्तर 2
- व्यवसाय विकास कार्यकारी (बीडीई)
- प्रेषण अधिकारी (डीओ)

2.7. "पुनर्भाव™" (www.punarbhava.in) - 'दिव्यांगजन (विकलांग व्यक्ति)' के लिए वेब पोर्टल

विभिन्न विकलांगता पहलुओं जैसे विकलांगता पंजीकरण, कानूनी उपकरण, संसाधन, करियर, सहायक उपकरण, ब्लॉग, सुलभ सामग्री, नवीनतम समाचार, कार्यक्रम, रोजगार के अवसर, प्रकाशन, उपयोगी लिंक, राष्ट्रीय संस्थान और प्रतिक्रिया आदि से संबंधित जानकारी वेब पोर्टल के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। यह दिव्यांगजनों, गैर सरकारी संगठनों, प्रोफेशनलों, नीति निर्माताओं, छात्रों, अभिभावकों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, माता-पिता और विकलांगता के क्षेत्र में अन्य हितधारकों के लिए लाभकारी है। पोर्टल

W3C दिशानिर्देशों के अनुसार सुलभ है। इसमें अक्षमता के अनुसार फॉन्ट रिसाइज़र और कलर स्विचर विकल्प भी हैं। पोर्टल नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और औसतन 12,000 तक दैनिक हिट प्राप्त होते हैं। पोर्टल का डिजाइन मोबाइल के अनुकूल है।

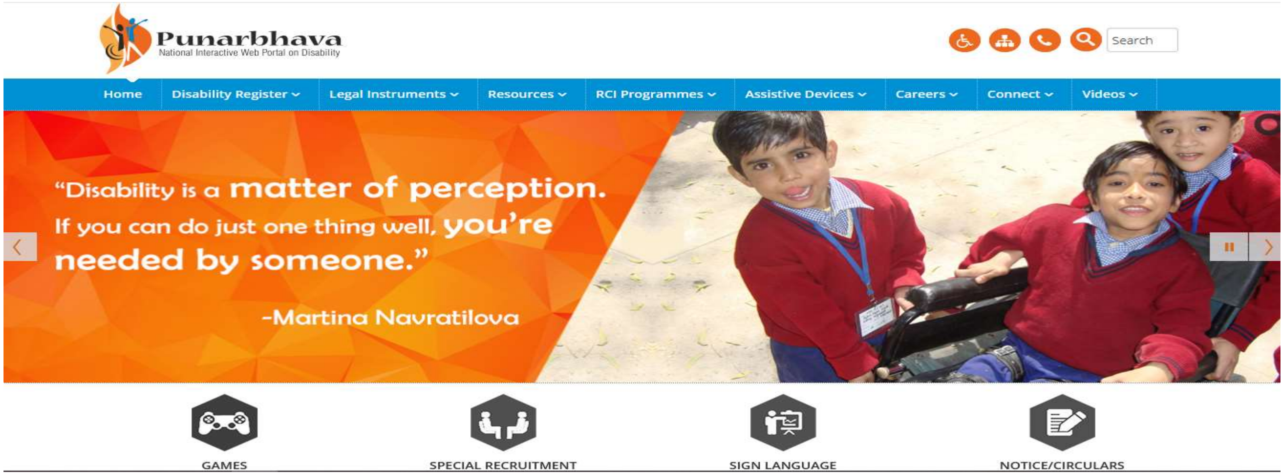

'पुनर्भवः™' का स्क्रीनशॉट

2.8. हृदय दर परिवर्तनशीलता (cHRV) विश्लेषण प्रणाली के लिए केंद्रीकृत प्रणाली

दूरस्थ स्थानों पर एचआरवीए तकनीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश भर में हेल्थकेयर प्रोफेशनल को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना भी है। स्वस्थ व्यक्तियों और रोगियों में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के उतार-चढ़ाव की भूमिका का आकलन करने के लिए एचआरवी एक महत्वपूर्ण मानव शरीर प्रदर्शन संकेतक है। यह पारंपरिक जोखिम कारकों द्वारा दी गई जानकारी से स्वतंत्र और उससे परे पूर्वानुमान संबंधी जानकारी प्रदान करता है। केंद्रीकृत एचआरवी आर और ओपन सीपीयू फ्रेमवर्क का उपयोग करके विकसित पुनउत्पादित और सहयोगी अनुसंधान प्लेटफॉर्म के माध्यम से चिकित्सा समुदाय को सशक्त बनाता है। प्रणाली बेंचमार्किंग, क्लीनिकल उपयोगिता और नीति निर्माण के लिए एचआरवी और संबद्ध स्वास्थ्य पर डेटाबेस बनाती है।

cHRV डैशबोर्ड

वर्ष में, प्रणाली में अतिरिक्त सुविधाओं का डाला गया जैसे उपयोगकर्ता प्रबंधन, सिंगल क्लिक पर कई आरआर फाइलों का विश्लेषण, बीट टू बीट (आरआर इंटरवल) डेटा को कैप्चर करने के लिए डिजिटल ईसीजी मशीन के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और इसे एचआरवी विश्लेषण के लिए **cHRV** सर्वर पर अपलोड करना, **HRVinR** पैकेज का अनुकूलन आदि। एप्लिकेशन मुंबई कार्यालय में लगे डीआईसी सर्वर पर चल रहा है। देश भर में अब तक **36** चिकित्सा संस्थानों ने पंजीकरण कराया है।

2.9. श्रवण बाधित बच्चों (एचआई) के लिए दृश्य भाषण प्रशिक्षण प्रणाली (वीएसटीएस)

इसका उद्देश्य भाषण प्रशिक्षण सहायता के रूप में काम करने के लिए भाषण उत्पादन के दौरान कलात्मक प्रयासों की दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक प्रणाली का विकास करना है।

परियोजना के तहत, स्वर व ध्वनियों और छात्र व एक शिक्षक या संदर्भ वक्ता से भाषण संकेत के लिए एनीमेशन या विश्लेषण परिणाम प्रदर्शित करने के लिए दो पैनल जैसे स्वर विकसित किए गए।

अब फेज ।। एक ही प्लेटफॉर्म पर एनीमेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग को एकीकृत करके प्रोसेसिंग में होने वाली देरी को कम करने के लिए लागू की जा रही है। व्यंजन के साथ उच्चारण के भाषण प्रशिक्षण और सुपर-सेगमेंटल विशेषताओं के प्रशिक्षण के लिए प्रणाली विकसित की जाएगी। यह एक माइक्रोफोन का उपयोग करके प्राप्त स्पीच सिग्नल की प्रोसेसिंग द्वारा प्राप्त लेटरल क्रॉस-अनुभागीय दृश्य के एकीकरण के साथ 3 डी-जैसा एनीमेशन देता है और कैमरे का उपयोग करके प्राप्त किए गए फ्रंटल व्यू देगा।

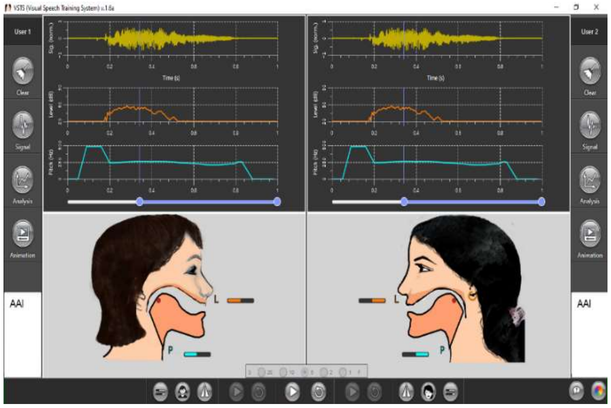

VSTS सिस्टम का यूज़र इंटरफ़ेस

VSTS का उपयोग करते हुए बच्चे

यह प्रणाली भाषण और भाषा के विकास में श्रवण बाधित बच्चों और अपरिचित ध्वनियों के उच्चारण में सुधार करने में दूसरी भाषा सीखने वालों की भी मदद करेगी। पायथन एप्लिकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रणाली का विकास किया जा रहा है।

2.10. सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आईटीआरए)

MeitY द्वारा शुरू एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आईटीआरए, सूचना व संचार प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक्स (संक्षिप्तता के लिए आईटी) और आईटी में इसके प्रचालन और भारत भर में संबंधित संस्थानों में आरएंडडी की गुणवत्ता और मात्रा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय संसाधन बनाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। आईटीआरए का पायलट फेज **31** दिसंबर, **2019** को समाप्त हो गया। आईटीआरए का कार्यान्वयन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन को सौंपा गया था। आईटीआरए ने निम्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया:

i. आईटी आरएंडडी की गुणवत्ता और मात्रा को आगे बढ़ाना

ii. शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों की संख्या बढ़ाना

iii. आईटी आधारित समस्या समाधान और सामाजिक विकास को मजबूत बनाना

iv. संस्थानों की टीमों के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्र बनाना

v. प्रमुख समस्याओं को हल करना और बुनियादी शोध करना

vi. आईटी या आईटी प्रचालनों में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना

उपरोक्त के लिए आईटीआरए कार्यक्रम के योगदान की व्यापक रूप से सराहना की गई है। आईटीआरए के समय काल में, आईटीआरए द्वारा "मोबाइल कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग और एप्लिकेशन (आईटीआरए-मोबाइल)"; "जल संसाधन स्थिरता (आईटीआरए-जल) में आईटी आधारित नवाचार"; और "भारतीय कृषि और खाद्य में आईटी आधारित परिवर्तन (आईटीआरए-एजी एंड फूड)" तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। इन क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियां नीचे सूचीबद्ध हैं:

- 60 संस्थानों में चल रही 16 आरएंडडी टीम परियोजनाओं से 143 शिक्षक, 167 शोधकर्ताओं और फेलो, 173 इंटर्न, 43 डोमेन विशेषज्ञों (संरक्षक, अनुवादक) और 111 सहयोगियों का एक नेटवर्क बनाया।
- 331 आईटीआरए के शोध पत्रों को अंतरराष्ट्रीय ख्याति के सम्मेलनों और पत्रिकाओं में स्वीकार किया। आईटीआरए परियोजनाओं के तहत किए गए कार्यों के परिणाम के रूप में कुल 646 प्रकाशन परियोजना जांचकर्ताओं द्वारा आईटीआरए को जमा किए गए हैं।
- कुल 12 पेटेंट और 2 कॉपीराइट दायर हुए; जिनमें से 1 पेटेंट संयुक्त रूप से डीआईसी/आईटीआरए के साथ दायर किया गया और 2 पेटेंट प्रदान किए गए।

(ऊपर बाईं ओर से दक्षिणावर्त) 23 जुलाई, 2019 को आईटीआरए प्रौद्योगिकियों के संभावित हितधारकों की बैठक; अग्नि (भारत सरकार) के प्रतिनिधि और कार्यक्रम प्रभाग के कर्मियों को ForkIT प्रौद्योगिकी समझाते हुए निशस्त्र टीम के सदस्य; KSNDMC और बड़ौदा विश्वविद्यालय के कर्मियों ने सचिव, MeitY को शहरी बाढ़ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र परीक्षणों की व्याख्या करते हुए; डीजी, एनडीआरएफ को क्राउन तकनीक समझाते हुए निशस्त्र टीम के सदस्य; रियल एस्टेट डेवलपर iSWAM-AquaSense तकनीक की उपयोगिता पर अपने विचार साझा करते हुए; एक्वासेंस टीम के सदस्य सचिव, एमईआईटीवाई को स्मार्ट वॉटर मीटर प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करते हुए।

- स्टार्टअप/व्यावसायीकरण की क्षमता वाले 21 प्रौद्योगिकियां/सेवाएं विकसित की गई।
- 21 प्रौद्योगिकी प्रोटोटाइप में से 3 स्टार्टअप कंपनियां पंजीकृत की गई।
- उद्योग और सरकारी संगठनों द्वारा 26 सेवाओं/समाधानों का उपयोग/परीक्षण किया गया।
- 135 नए/अपडेटिड कोर्स; 62 नई/अपडेडिट प्रयोगशालाएं; 49 ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन/मानसून विद्यालय; 52 ट्यूटोरियल और 10 दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित किए गए; 97 सेमिनार और 35 ओपन हाउस आयोजित किए गए।

2.11. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना

MeitY ने इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) और आईटी / आईटी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) क्षेत्रों में पीएचडी की संख्या बढ़ाने के लिए योजना के कार्यान्वयन का काम डीआईसी को सौंपा है। इसका उद्देश्य ईएसडीएम और आईटी / आईटीईएस में 3,000 अतिरिक्त पीएचडी छात्रों (1,000 पूर्णकालिक + 2,000 अंशकालिक) का समर्थन करना है और अनुसंधान व प्रौद्योगिकी विकास में उनके काम को प्रोन्नत करने और पहचानने के लिए 200 युवा संकाय का सहयोग करना है।

विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना" के तहत वित्तीय घटक

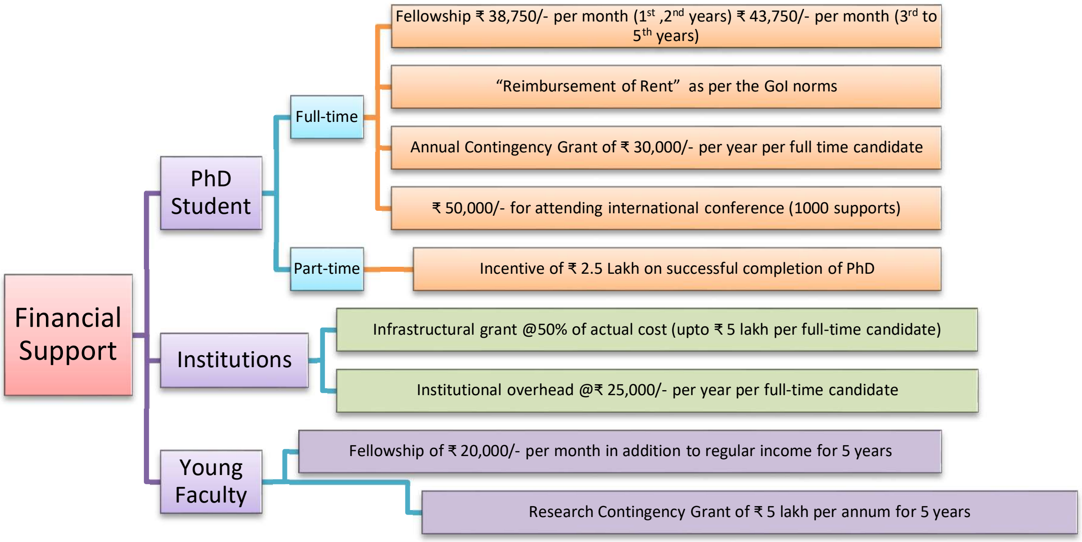

योजना के कार्यान्वयन की स्थिति :

- योजना के तहत अगस्त 2019 में फेलोशिप को क्रमशः रुपये 31,500/- (पीएचडी के पहले दो वर्षों के लिए) और रु. 35,000/- (तीसरे वर्ष के बाद) की मौजूदा दरों से रु. 38,750/- और रु. 43,750/- तक बढ़ा दिया गया है। फेलोशिप से जुड़े किराए की प्रतिपूर्ति भी बढ़ा दी गई है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2019 से लागू हैं।
- इस योजना के तहत 97 शैक्षणिक संस्थानों को 1076 पूर्णकालिक और 746 अंशकालिक पीएचडी सीटें आवंटित की गई हैं, जहां 931 पूर्णकालिक और 295 अंशकालिक पीएचडी उम्मीदवार वर्तमान में नामांकित हैं।
- 154 शिक्षकों को 'यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप (वाईएफआरएफ)' से सम्मानित किया गया।
- पीएचडी स्कॉलर बिग डेटा, ब्लॉकचैन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल कम्युनिकेशन, 5जी कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, वीएलएसआई डिजाइन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी आदि जैसे उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में शोध कर रहे हैं।
- 11 संस्थानों के 13 शोधार्थियों ने 15 पेटेंट दाखिल किए हैं।
- 785 अनुसंधान विद्वानों द्वारा प्रकाशित 2690 शोध पत्र।
- 112 पीएचडी उम्मीदवारों ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया।
- योजना के तहत समर्थित पीएचडी फेलो और "यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप" पुरस्कार विजेताओं के शोध की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जहां शॉर्टलिस्ट किए गए पीएचडी फेलो उनके गाइड और "यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप" के पुरस्कार विजेताओं अपने शोध प्रस्तुत किए और विशेषज्ञों ने गुणवत्ता सुधार के लिए अपने सुझाव दिए।

(ऊपर बाईं ओर से दक्षिणावर्त) ह्यूमनसेंस टीम के सदस्य, सचिव, एमईआईटीवाई और एएस एंड एफए, एमईआईटीवाई को कफ-रहित रक्तचाप निगरानी प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करते हुए; वर्चुअल असिस्टेंट टीम के सदस्य आईटीआरए प्रोग्राम डिवीजन कर्मियों को मोबाइल आधारित खांसी विश्लेषण उपकरण का प्रदर्शन करते हुए; M2M टीम सचिव, MeitY को एग्रोकास्ट तकनीक समझाती है; रिमोटहेल्थ टीम ने सचिव, एमईआईटीवाई और जीसी (आईटी में आर एंड डी), एमईआईटीवाई को मेडीक्लाउड टेक्नोलॉजी समझाते हुए; सचिव MeitY, MD&CEO DIC, और प्रोग्राम डिवीजन कर्मियों को NCORE तकनीक समझाते हुए निशस्त्र टीम के सदस्य; रिमोटहेल्थ टीम के सदस्य प्रोग्राम डिवीजन कर्मियों को कियोस्क-आधारित हेल्थकेयर डिलीवरी ऐप का प्रदर्शन करते हुए ।

- रिसर्च फेलो (मुंबई, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम, जयपुर और चंडीगढ़ में लगभग 950 रिसर्च स्कॉलर्स) के लिए कुल 5 कार्यशालाएं और "यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप (YFRF)" पुरस्कार विजेताओं के लिए 3 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इन कार्यशालाओं में से, पीएचडी स्कॉलर की 5वीं कार्यशाला (जुलाई 2019 में पीईसी चंडीगढ़ में) और वाईएफआरएफ पुरस्कार विजेताओं के लिए तीसरी कार्यशाला (मई 2019 में आईआईएससी बैंगलोर में) वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित की गई थी। इस योजना के तहत 2 साल पूरे करने वाले 63 वाईएफआरएफ पुरस्कार विजेताओं के लिए नवंबर 2019 में IISc बैंगलोर और आईआईटी दिल्ली में दो प्रदर्शन समीक्षाएं आयोजित की गईं।

पीईसी चंडीगढ़ में पीएचडी विद्वानों की 5वीं कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञ

पीईसी चंडीगढ़ में पीएचडी स्कॉलर्स की 5वीं वर्कशॉप के दौरान रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टी सदस्य

- पीएचडी फेलो के शोध पत्र स्प्रिंगर द्वारा प्रकाशित आईसीटी जर्नल पर सीएसआई लेनदेन के 3 विशिष्ट संस्करणों (जून 2017, मार्च 2018 और जून 2018) में प्रकाशित किए गए हैं।
- इस योजना ने प्रयोगशाला, उपकरण, आदि के उन्नयन/निर्माण में संस्थानों की मदद की; शोध गतिविधि में, ईएसडीएम और आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में तकनीकी विकास व बौद्धिक संपदा के निर्माण में छात्रों और युवा संकाय शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

<u>विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन</u>

- अगस्त 2018 में, MeitY सचिव के अनुमोदन से, विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए डॉ. अरबिंद मित्र, वैज्ञानिक सचिव, भारत सरकार के पीएसए कार्यालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
- मूल्यांकन समिति की कुल 3 बैठकें हो चुकी हैं। (3 अगस्त 2019 को आईआईटी जोधपुर में तीसरी बैठक)।

- संस्थानों के नोडल अधिकारियों, पीएचडी विद्वानों और विभिन्न संस्थानों के युवा संकाय अनुसंधान फैलोशिप के पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत के माध्यम से मूल्यांकन समिति द्वारा उनकी प्रतिक्रिया एकत्र की और पाया गया कि सभी ने योजना की बहुत सराहना की है। इस योजना ने ईएसडीएम और आईटी/आईटीईएस के क्षेत्र में अधिक पीएचडी उम्मीदवारों के नामांकन के लिए देश भर के संस्थानों में एक गति प्रदान की और योजना एक अच्छा प्रभाव डालने में सक्षम रही।

आईआईटी जोधपुर में तीसरी मध्यावधि मूल्यांकन समिति के सदस्य

- मूल्यांकन समिति ने 300 पूर्णकालिक पीएचडी सीटों के वार्षिक लाभ और 50 "पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप" की शुरुआत के साथ योजना को जारी रखने की सिफारिश की है।

3. नेशनल ई-गर्वनेंस डिवीजन प्रभाग (एनईजीडी)

परिचय:

एनईजीडी केंद्रीय/राज्य स्तर पर मंत्रालयों/विभागों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू और समर्थन करने में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विकास/कार्यक्रम प्रबंधन के अंतर्गत परियोजना में प्रमुख गतिविधियों शामिल हैं:

नीतिगत योजना

- ई-गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में नीतियां और कार्यान्वयन नीतियों सहित डिजिटल इंडिया और ई-क्रांति (NeGP 2.0) को नीतिगत दिशा प्रदान करना।
- संपूर्ण रेंज का विकास और मौजूदा मॉडल आरएफपी/ईओआई/अनुबंध/पीपीपी मॉडल/दस्तावेजों में सुधार।
- एनईजीपी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश और नीतियां।
- मानक - परियोजना-दिशानिर्देशों का हिस्सा बनना।
- एमएमपी और अन्य ई-गवर्नेंस पहलों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सक्रिय सहयोग और समर्थन।

सेंट्रल लाइन मंत्रालयों को सहयोग

सेंट्रल लाइन मंत्रालयों को सहयोग देते हुए NeGD सेंट्रल लाइन मंत्रालयों/विभागों तक पहुंचने और उनकी ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समर्थन देने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है। सेंट्रल लाइन मंत्रालयों को समर्थन और सहायता देने की प्रक्रिया में किए जाने के लिए प्रस्तावित गतिविधियों की सूची निम्नानुसार है:

- स्टेकहोल्डर परामर्श
- ई-गवर्नेंस सेवाओं के क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें प्राथमिकता देना
- कार्य योजना तैयार करना
- ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए नीति
- परियोजना प्रबंधन सलाहकार की नियुक्ति
- डीपीआर तैयार करने, समीक्षा व मूल्यांकन करने में सहायता
- ईएफसी/सीएनई/एसएफसी/डीसीएन नोट की समीक्षा
- आरएफपी(रों) की समीक्षा और मूल्यांकन
- तकनीकी मूल्यांकन समिति के रूप में तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन करना।
- परियोजना परिवर्तन प्रबंधन
- परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली

एनईजीडी की परियोजनाएं

- **डिजिलॉकर**

नागरिकों को लाभ

- डिजिटल वॉलेट: महत्वपूर्ण दस्तावेज कभी भी, कहीं भी
- आईटी अधिनियम **2000*** के अनुसार कानूनी रूप से मूल दस्तावेजों के बराबर,
- कागज रहित गर्वनेंस: दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज
- सहमति आधारित दस्तावेज़ साझा करना
- प्रामाणिक दस्तावेज़: सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं

* जुलाई **2016** में सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम **2000** के तहत अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले बिचौलियों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, **2016** के अनुसार

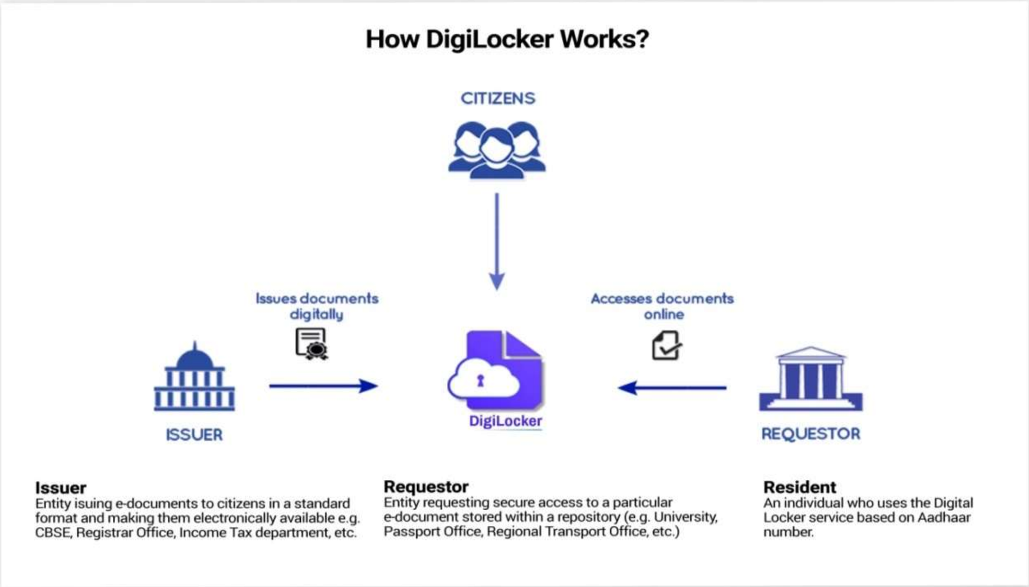

विभागों को लाभ
• प्रशासनिक ओवरहेड कम करना : कागज के उपयोग को कम करके और सत्यापन प्रक्रिया को कम करना
• डिजिटल परिवर्तन: विश्वसनीय जारी दस्तावेज़ प्रदान करता है
• सुरक्षित दस्तावेज़ गेटवे: नागरिक की सहमति से विश्वसनीय जारीकर्ता और विश्वसनीय अनुरोधकर्ता/सत्यापनकर्ता के बीच दस्तावेज़ विनिमय प्लेटफार्म
• वास्तविक समय में सत्यापन: उपयोगकर्ता की सहमति प्राप्त करने के बाद जारीकर्ताओं से सीधे डेटा सत्यापित करने के लिए सरकारी एजेंसियों को सक्षम करके एक सत्यापन मॉड्यूल देता है।

- **ओपनफोर्ज**

ओपनफोर्ज क्या है?

ओपनफोर्ज ई-गवर्नेंस प्रचालनों के स्रोत कोड पर नीतिगत नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है। यह सरकारी स्रोत कोड के लिए कोड रिपॉजिटरी और वर्जन नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। 2015 में, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने "सरकारी प्रचालनो के स्रोत कोड को खोलकर सहयोगात्मक प्रचालन विकास पर नीति" शुरू की। नीति केंद्रीय भंडार में संग्रहीत करके ई-गवर्नेंस प्रचालन सोर्स कोड को दोबारा उपयोग करने और साझा करने के महत्व पर जोर देती है।

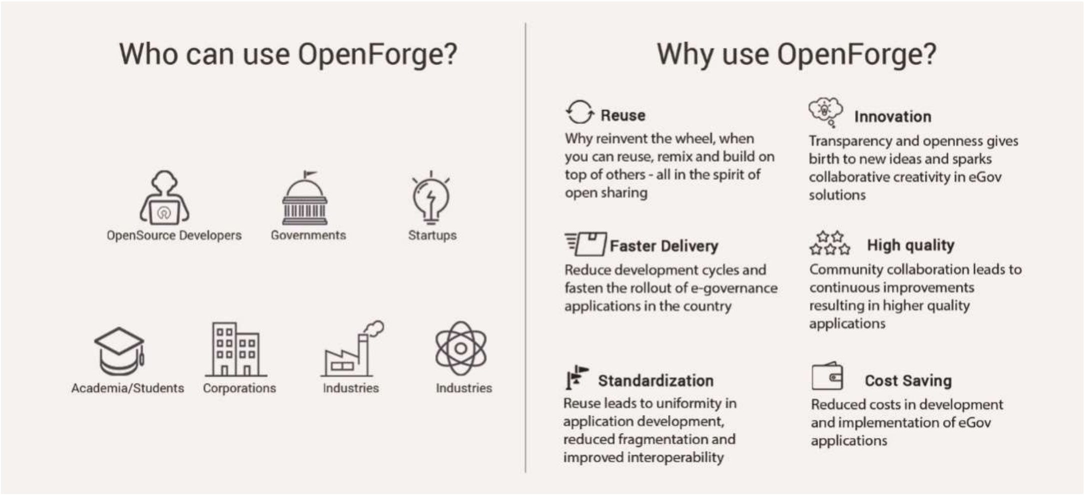

- **उमंग**

उमंग (न्यू-एज गवर्नेंस के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन) को भारत में मोबाइल गवर्नेंस को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) द्वारा विकसित किया गया है। उमंग अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस सेवाओं को एकल प्लेटफॉर्म देता है इसमें केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकाय और अन्य नागरिक-केंद्रित सेवाएं शामिल हैं। उमंग केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों और कॉरपोरेट्स की अन्य उपयोगिता सेवाओं द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं प्रदान करता है। यह एक एकीकृत दृष्टिकोण देता है जहां नागरिक कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं।

उमंग की विशेषताएं
• राज्यों और केंद्र की विभिन्न सरकारी संगठनों की 1200+ सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल मोबाइल ऐप
• 13 भाषाओं मे उपलब्ध और मांग को पूरा करता है
• सरकारी सेवाओं में एक समान उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस
• ~ 18 एमबी आकार (एंड्रॉइड) के साथ एक ऐप में सभी महत्वपूर्ण सेवाएं
• उपयोगिताओं और अन्य सेवाओं के लिए डिजिटल भुगतान

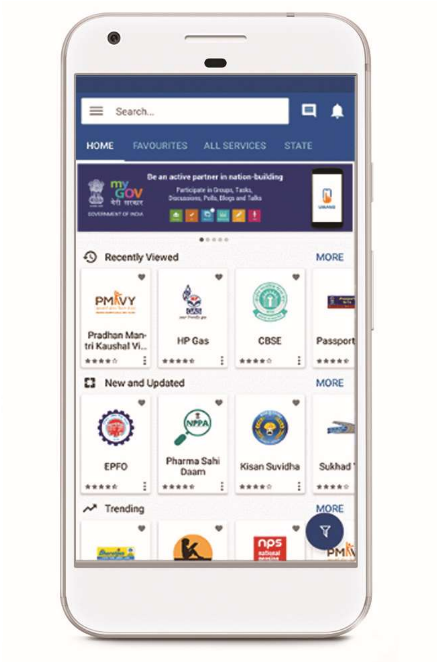

राज्यों सहित सरकारी एजेंसियों को लाभ

- लंबी डीपीआर/बोली प्रक्रिया के बिना मोबाइल के माध्यम से सेवाओं के प्रावधान के लिए आसान सुविधा
- कस्टमाइज होम पेज, स्व-देखभाल पोर्टल के माध्यम से मुफ्त एपीआई विकास और पूर्ण नियंत्रण की सुविधा
- विभागों/राज्यों के लिए कोई कैपेक्स या ओपेक्स नहीं
- बेसिक एकीकरण अर्थात् आधार, डिजिलॉकर, पेमेंट गेटवे और आरएएस (फीडबैक) उपलब्ध

➢ **क्षमता निर्माण**

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण योजना सरकार में सभी स्तरों पर पर्याप्त और संबंधित क्षमताओं के निर्माण की परिकल्पना करती है और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की अवधारणा, नेतृत्व, डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण देती है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य सेंट्रल लाइन मंत्रालयों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लाइन विभागों में परियोजना प्रबंधन टीम के अधिकारी और सदस्य हैं। इसका उद्देश्य परियोजनाओं की कल्पना और वितरण पर समग्र समझ विकसित करना है। कभी भी, कहीं भी सीखने और ज्ञान साझा करने की सुविधा के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम (KMS) जैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं।

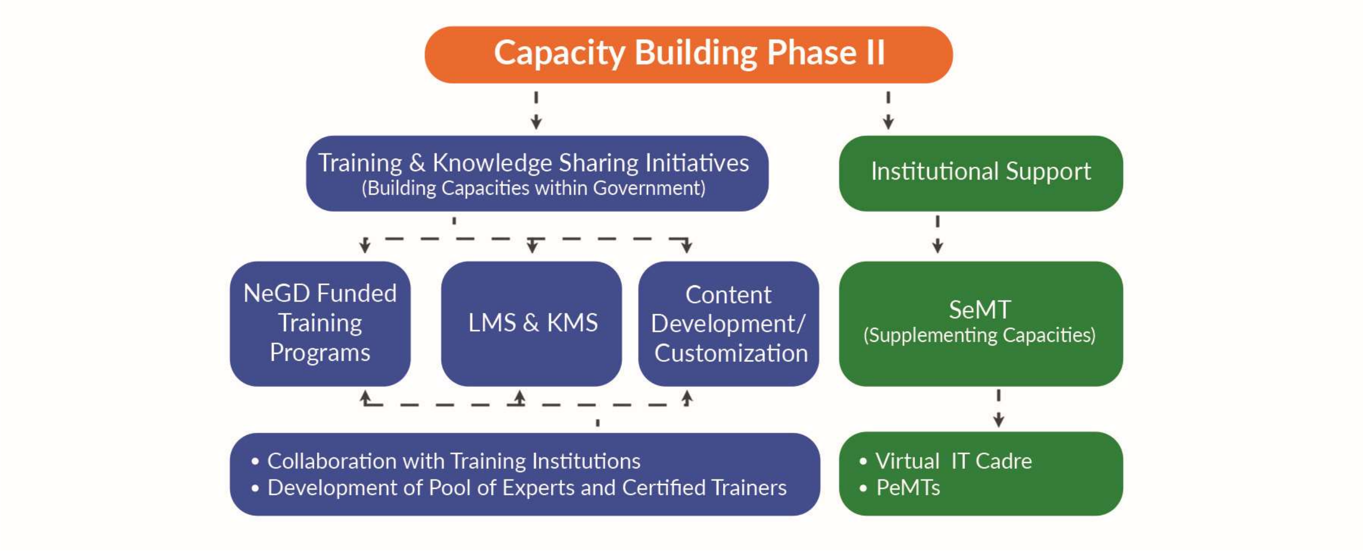

2019-20 में निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे

1. **सेंट्रल लाइन मंत्रालयों (सीएलएम) के लिए ई-गवर्नेंस में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम**

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निर्णय लेने/फेज ई—गर्वनेंस परियोजना जीवन चक्र के विशेष क्षेत्र में विशिष्ट क्षमता विकसित करना है। पांच कार्यक्रम आयोजित किए गए और 153 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

2. **मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) प्रशिक्षण कार्यक्रम**

इस व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपेक्षित दक्षताओं का निर्माण करने और चयनित अधिकारियों को संबंधित अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस मिशन मोड प्रोजेक्ट्स (एमएमपी) और अन्य ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का नेतृत्व, प्रबंधन और कार्यान्वयन कर रहे हैं। वर्तमान में, सीआईओ कार्यक्रमों के दो प्रकार दिए जाते हैं: ई-गवर्नेंस लीडरशिप प्रोग्राम (ईजीएलपी) और ई-गवर्नेंस चैंपियंस प्रोग्राम (ईजीसीपी)। कुल पांच कार्यक्रम (3 ईजीएलपी और 2 ईजीसीपी) आयोजित किए गए और 104 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

3. **प्रशिक्षक को प्रशिक्षण (टीटीटी) कार्यक्रम**

टीटीटी कार्यक्रमों का उद्देश्य विशेषज्ञ प्रशिक्षकों का का पुल बनाना है। इसका उद्देश्य सभी प्रशिक्षण भागीदारों में प्रशिक्षण वितरण का मानकीकरण करना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/प्रशिक्षण भागीदार स्तरों की उभरती प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना है। 11 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक टीटीटी कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

4. **विषयगत कार्यशालाएं**

ये कार्यशालाएं ई-गवर्नेंस में उभरते विभिन्न क्षेत्रों और विषयों पर केंद्रित हैं। इसमें उभरती हुई प्रौद्योगिकी (क्लाउड, डेटा विश्लेषण, जीआईएस, आदि), सामान्य सेवा सूचना पहल जैसे सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम), डिजिटल लॉकर, ई-साइन से लेकर कुछ महत्वपूर्ण नीति और फ्रेमवर्क जैसे मानक, सरकारी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और प्राप्तियां शामिल हैं। तीन विषयगत कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें साइबर सुरक्षा और अन्य क्षेत्रीय कार्यशालाओं पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित थी। कुल 276 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

5. **साइबर सुरक्षित भारत गहन प्रशिक्षण**

कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता फैलाना, क्षमता निर्माण करना है। साथ ही सरकारी विभागों को साइबर रेजिलिएंट आईटी सेटअप बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर सक्षम बनाना है। मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) में पदोनीत अधिकारी, सीटीओ, तकनीकी / पीएमयू टीमों के सदस्य और सार्वजनिक क्षेत्र बैंक और बीमा कंपनियों, पुलिस के तकनीकी उपक्रम व सुरक्षा बलों सकहत केंद्र और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और अधीनस्थ एजेंसियों / पीएसयू के उनके संबंधित संगठनों में आईटी सिस्टम की सुरक्षा को निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया। 2019-20 में, 8 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 281 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

6. **डिजिटल शासन और प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी-डीजी एंड एम)**

मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) से सम्मानित करने वाला पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत सरकार के तहत भारतीय प्रबंधन संस्थान विशाखापत्तनम (आईआईएमवी) द्वारा शुरू किया जा रहा है।

Programme	Target Participants	Duration
Master of Business Administration in Digital Governance and Management 2019-21 (MBA DG & M)	• Officers of All India Services, Central Services - organized & nonorganized, technical & non-technical, faculty members of State Administrative Training Institutes, and, for officers of the State Civil Services (SCS) & Non-State Civil Services (Non-SCS); • Officers from the Public Sector (Central/State) and Private Sector Enterprises; • Professionals (independent/self-employed) associated with digitalization initiatives.	18 mths (1.5yrs)

नोट: कार्यक्रम के विवरण, समय-समय पर किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कैलेंडर और पंजीकरण के लिए, कृपया देखें - www.tmis.negd.in

7. **SeMT (राज्य eMission टीम) अभिविन्यास कार्यक्रम**:

कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकारी प्रक्रियाओं**,** कामकाज और विभिन्न पहलों के बारे में नए किराए के संसाधनों के बीच एक आम समझ विकसित करना है। दो कार्यक्रम आयोजित किए गए और **47** नए भर्ती को प्रशिक्षित किया गया।

भू-सूचना विज्ञान का राष्ट्रीय केंद्र (NCoG)

NCoG की विशेषताएं

- 1:5000 पैमाने का बेसमैप
- बहुउद्देश्यीय भू-डेटासेट की अनुकूलता
- विकसित ओपन सोर्स/इन-हाउस
- ओपन एपीआई के माध्यम से एकीकरण
- उपयोगकर्ता संपत्ति/सुविधाएं ले सकते हैं
- खुले मानक (ओजीसी) अनुपालन
- लागत प्रभावी

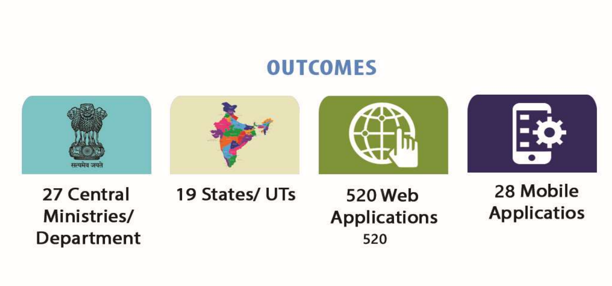

त्वरित मूल्यांकन प्रणाली (आरएएस)

- नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वितरित ई-सेवाओं (ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंटर) पर ऑनलाइन, तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए त्वरित मूल्यांकन प्रणाली (आरएएस) बनाया है। सरकारें।
- यह इन सेवाओं का लाभ उठाने वाले नागरिक इन सेवाओं पर तुरंत ऑनलाइन प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
- आरएएस की विश्लेषणात्मक विशेषताएं सेवाओं के बेहतर वितरण व सुधार के लिए मुश्किल क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जुड़े विभागों की मदद करती हैं।
- आरएएस का लक्ष्य नागरिकों से नियमित प्रतिक्रिया के आधार पर निरंतर सेवा में सुधार करना है।

मुख्य विशेषताएं:

- विभागों के साथ एपीआई की कार्यप्रवाह प्रक्रिया के माध्यम से ट्रिगर आधारित सेवा एकीकरण।
- स्थानीय समर्थन (नागरिक अपनी स्थानीय भाषा में प्रतिक्रिया दे सकते हैं।)
- उपयोगकर्ता विभाग द्वारा आसानी से कॉन्फ़िगर (विभाग आसानी से प्रश्नों के तरीके, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या या प्रश्नों के टेक्स्ट को उनकी आवश्यकता के अनुसार कॉन्फ़िगर कर सकता है)
- एसएमएस, वेब ब्राउज़र या मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग) जैसे कई संचार चैनलों के माध्यम से प्रतिक्रिया
- मुख्य दृष्टिकोण और डेटा विश्लेषण के लिए समर्पित विश्लेषणात्मक परत।

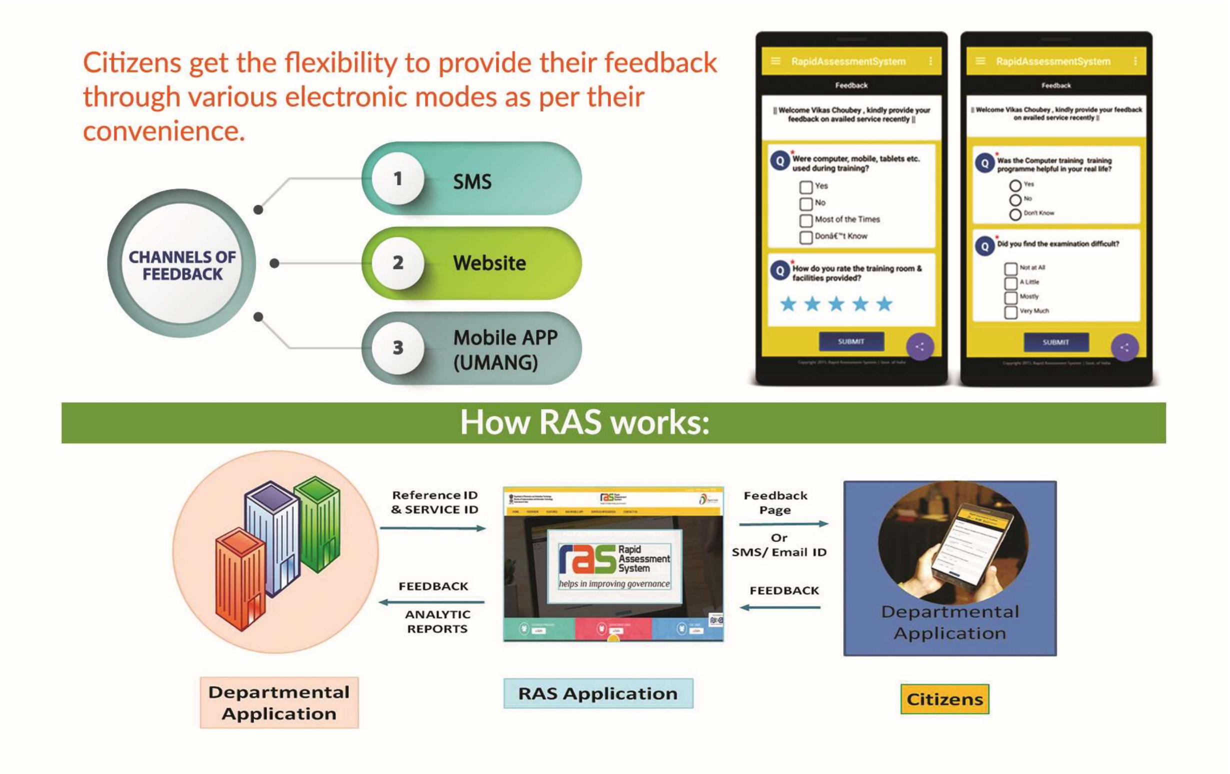

- **जागरूकता और संचार (एएंडसी)**

जागरूकता और संचार (एएंडसी) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का महत्वपूर्ण तत्व है। एएंडसी डिजिटल इंडिया के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सेवाओं, सेवा वितरण चैनलों, पहलों और परियोजनाओं के बारे में नागरिकों को जानकारी, शिक्षित और संचार करके उन्हें सशक्त बनाता है।

एएंडसी गतिविधियों के मुख्य उद्देश्य हैं:

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रचार, प्रचार और विपणन के लिए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं। नीचे दिए अनुसार अखिल भारतीय अभियानों को पूरा करने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाता है :

- ऑडियो विजुअल साधनों का उत्पादन और निष्पादन- टीवी विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, सिनेमा विज्ञापन, लघु फिल्म, आदि।

- प्रिंट सामग्री (डिजाइन और सामग्री) का उत्पादन और प्रसार - समाचार पत्र विज्ञापन, ब्रोशर, पुस्तिकाएं, न्यूजलेटर, पोस्टर, बिलबोर्ड डिजाइन, पत्रिका लेख और विज्ञापन
- आउटडोर मीडिया- होर्डिंग्स, बस क्यू शेल्टर, यूनीपोल, रेलवे स्टेशनों पर डिस्प्ले बोर्ड, हवाई अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड आदि।
- सोशल मीडिया - डिजिटल इंडिया के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यू ट्यूब चैनलों पर ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग
- भौतिक पहुंच संबंधी गतिविधियों का आयोजन और प्रबंधन- विश्वविद्यालय कार्यशालाएं, ग्रामीण पहुंच (वैन आधारित अभियान), राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन और प्रदर्शनियां आदि।
- ब्रांडेड सामग्री का निर्माण और वितरण: पेन, नोटपैड, मग, बैग, पेन ड्राइव, चाबियों के गुच्छे, पेन स्टैंड आदि।

NeGD की नई पहल

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम:**

  आम आदमी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित तकनीकों के लाभ देने के लिए 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत नौ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है, अर्थात् स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट शहर, परिवहन, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त और भारतीय भाषाएँ। ये सर्वश्रेष्ठता केंद्र (सीओई) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधानों के विकास और लागू करने के लिए स्टार्ट-अप/उद्योगों की मदद करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए सीओई/स्टार्ट-अप का उपयोग करने के लिए अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों की भी परिकल्पना की गई है।

- **इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (IndEA)**

  नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन को सरकारी मंत्रालयों, राज्यों और अन्य एजेंसियों में पहल करने के लिए इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (इंडईए) नामक एक डिवीजन बनाने के लिए जनादेश सौंपा गया है।

  डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अर्थात i) प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता के रूप में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, ii) मांग पर गवर्नेंस और सेवाएं और, iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, वेब, मोबाइल और सामान्य सेवा वितरण आउटलेट जैसे कई चैनलों के माध्यम से नागरिकों के लिए एकीकृत तरीके से सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से सुलभ बनाने के लिए डेटा, एप्लिकेशन और प्रक्रियाओं के एक अंतर-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है।

  ई-सरकार के लिए इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का उद्देश्य ट्रांजेक्शनल सिस्टम इंटर-ऑपरेबिलिटी का समर्थन करना, सरकारी उद्यम के मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया, आईटी परिदृश्य में जटिलता को कम करना, उद्यम सुरक्षा

को बढ़ाना, ड्राइविंग दक्षता के समय निर्णय निर्माण के आधार पर जानकारी देना, लागत का लाभ, शेयर और दोबारा प्रयोग करना है। यह ढांचा मंत्रालयों, राज्यों के सरकारी संगठनों में उद्यम वास्तुकला परिवर्तन शुरू करने में भारत सरकार को सक्षम बनाएगा।

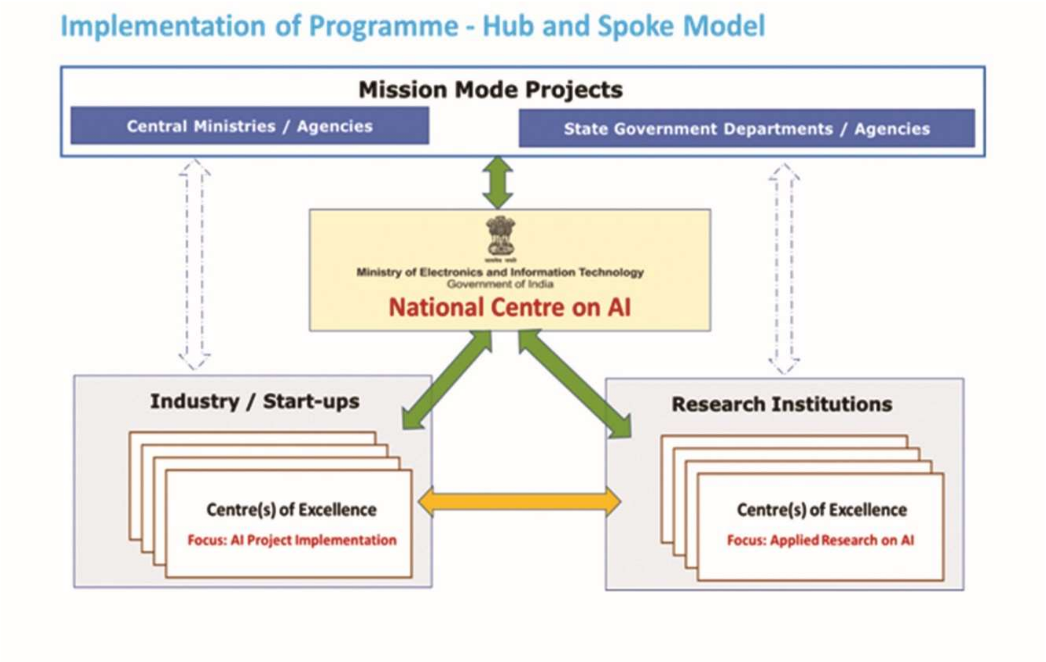

IndEA एक सामान्य ढांचा है जिसमें वास्तुकला संदर्भ मॉडल का एक सेट शामिल है, जिसे भारत, मंत्रालयों, राज्यों, सरकार, एजेंसियों आदि के लिए एक संपूर्ण सरकारी वास्तुकला में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ढांचा फेडरेटेड आर्किटेक्चर दृष्टिकोण पर आधारित है और ग्रीनफील्ड (नई) और ब्राउनफील्ड (मौजूदा / विरासत) ईगोव पहल दोनों को समायोजित करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड आदि जैसे विकसित देशों द्वारा एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने उपयुक्त कानूनों के माध्यम से ईए के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।

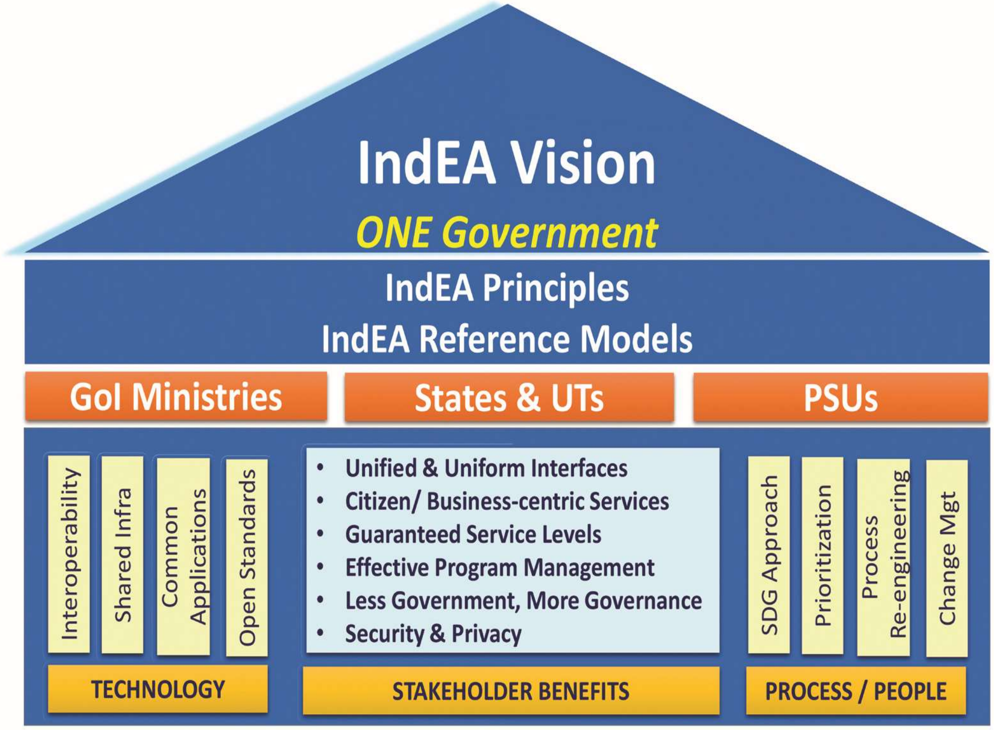

- **ओपन एपीआई प्लेटफॉर्म**

यह प्लेटफॉर्म विभिन्न सूचना प्रणालियों को जोड़ेगा जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल हो सकती हैं। यह डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कई सूचना प्रणालियों के साथ बेहतर तरीके से काम करने, बड़ा डेटा सेट प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही विकास को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। इसलिए, नई ई-सेवाएं को जोड़ा जा सकता है और नए प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आ सकते हैं।

परिवर्तनकारी प्रभाव: त्वरित सत्यापन योग्य डेटा उपलब्ध होने से निम्नलिखित क्षेत्रों में परिवर्तन लाकर सेवा उपलब्धता को अधिक कुशल बनाया जाता है —

- सरकार: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त, दूरसंचार आदि।
- उद्योग: व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाना
- नागरिक: जीवन चक्र डेटा उदा। जन्म, जाति, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, वित्त, मृत्यु

- **डिजिटल सेवा मानक (DSS)**

सरकारों द्वारा सबाजार में तेजी से नई डिजिटल सेवाओं देने के अलावा, मौजूदा ई-सेवाओं की समीक्षा, युक्तिसंगत और पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता को महसूस किया गया है। डिजिटल सेवाएं ई-सेवाओं से गुणात्मक रूप से न केवल नए युग के डिजाइन प्रतिमान के संदर्भ में भिन्न हैं बल्कि नए मूल्य बनाने के अपने लक्ष्य में भी अलग हैं जो नई प्रक्रियाओं के सेट का समर्थन करती हैं। डिजिटल सेवा व्यवस्था सेवा प्रदाता समुदाय और उपभोक्ता समुदाय दोनों में पूरी तरह से नई क्षमताओं की मांग करती है। डिजिटल सेवा मानक एक तर्कसंगत वर्गीकरण के अनुसार आयोजित 170 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों, सिद्धांतों और दिशानिर्देशों का एक समूह है, जिसे सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समझना और कार्यान्वित करना आसान है।

डीएसएस का दृष्टिकोण राष्ट्रीय मानकों को परिभाषित करना है, जिसे अपनाने से डिजिटल सेवाओं की परिभाषा, प्राप्ति, मापन और शासन में एकरूपता, संगति, व्यापकता और उत्कृष्टता सुनिश्चित होती है। डिजिटल सेवा मानक ढांचे को विभिन्न स्थितियों में लाभ के साथ लागू किया जा सकता है, जैसे कि बड़ी ग्रीन-फील्ड डिजिटल परियोजनाएं, विरासत प्रणाली जिन्हें डिजिटल युग डिस्क्रिट सेवाओं और सेवाओं का पोर्टफोलियो में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यह न केवल आवश्यक सिद्धांत और दिशानिर्देश देते हैं, बल्कि डिजिटल सेवाओं के प्रदर्शन को मापने में भी सहायक होते हैं, उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए, और इस मानक को अपनाने में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए नीतियां भी बनाता है।

उद्योग 4.0 की तरह सरकार 4.0 में स्नातक करने के लक्ष्य के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा डिजिटल सेवा मानकों में सहज परिवर्तन और अपनाने की आवश्यकता होगी। डीएसएस नीतिगत प्रणालीगत चुनौतियों को अनलॉक करने, बदलने के लिए प्रणाली की जड़ता को दूर करने और इकोसिस्टम में सही करने का प्रयास करती है।

4. MyGov

MyGov प्लेटफॉर्म देश की शासन प्रक्रिया में नागरिकों को एक आवाज प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म नागरिकों का नीति निर्माण करता है और साथ ही कार्रवाई योग्य कार्यों और चर्चाओं के माध्यम से कार्यान्वयन में भी हितधारक भी बनाती है।

वर्ष 2019-20 में MyGov प्लेटफार्म पर एक करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं हैं। वर्ष में, झारखंड (https://Jharkhand.mygov.in) और नागालैंड (https://nagaland.mygov.in/) जैसे MyGov स्टेट इंस्टेंस भी शुरू किए गए। दिसंबर 2019 तक 'मन की बात' के 60 एपिसोड आ चुके हैं। अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में सरकार के प्रदर्शन के 5 साल (https://5years.mygov.in/), रक्षा मंत्रालय के लिए स्वच्छता ही सुरक्षा, 2019 (https://swachhbarat.mygov.in/mod), न्यू इंडिया (https://newindia.mygov.in/), ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (https//:transformingindia.mygov.in/) परीक्षा पे चर्चा 2020, इंडिया इनोवेशन चैलेंज डिजाइन कॉन्टेस्ट 2019, द गांधीयन चैलेंज, यूनिसेफ चैलेंज, यूथ पार्लियामेंट चैलेंज, MyGov क्विज (https:// Quiz.mygov.in) पद्म पुरस्कार 2019 जैसी प्रश्नोत्तरी, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, पर्यटन परी2019, उद्यमिता प्रश्नोत्तरी 2019, मोनिया से महात्मा तक प्रश्नोत्तरी, इसरो प्रश्नोत्तरी, गांधी प्रश्नोत्तरी, भारत में चुनाव पर प्रश्नोत्तरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रश्नोत्तरी आदि जैसे प्रश्नोत्तरी शामिल हैं।

5. निदेशक मंडल

पिछली वार्षिक आम बैठक से, निम्नलिखित निदेशक डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे:

- श्री रविशंकर प्रसाद (पदेन), माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री 07/07/2021 से प्रभावी
- श्री संजय धोत्रे (पदेन), माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री 07/07/2021 से प्रभावी
- श्री गोपालकृष्णन.एस, प्रबंध निदेशक और सीईओ, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन 31/05/2020 से प्रभावी

कंपनी के निदेशकों ने कंपनी के निदेशकों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उपरोक्त निदेशकों द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना की है।

निम्नलिखित निदेशकों को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के बोर्ड में शामिल/नियुक्त किया जा रहा है:

- श्री अभिषेक सिंह आईएएस, एमडी और सीईओ, डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन, 20.07.2020 से प्रभावी

6. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 और संबंधित नियमों की धारा 135 में परिभाषित अनुसार कंपनी "निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व" के दायरे से बाहर है। फिर भी, कंपनी ने हमारे व्यवसाय, हमारे कर्मचारियों और समाज के प्रति जिम्मेदारी को स्वीकार किया है और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना रखती है।

7. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार]
कंपनी के निदेशक मंडल, अपने बेहतर ज्ञान और क्षमता के अनुसार, पुष्टि करते हैं कि:

i) वार्षिक खातों को तैयार करने में, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;
ii) चयनित लेखा नीतियों को लागू किया गया और निदेशकों द्वारा लिए गए निर्णय और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण हैं। इसके आधार पर ही 31 मार्च, 2019 को कंपनी के मामलों की स्थिति और 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की आय व व्यय का सही और निष्पक्ष के विवरण दिया जा सका,
iii) कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का उचित रखरखाव किया गया है;
iv) वित्तीय विवरण चालू संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं; और
v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व उचित प्रणालियां तैयार की गई जो प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

8. सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा रुपए 102.52 करोड़, MyGov द्वारा रुपये 84.88 करोड़ और प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन प्रभाग (टीडीडीडी) द्वारा रुपए 92.18 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है। जो कुल मिलाकर रुपए 279.58 करोड़ था।

9. सार्वजनिक जमा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत कंपनी ने न तो कुछ प्राप्त किया है और न ही स्वीकार किया है।

10. सहायक/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों का विवरण:

कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है।

11. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी की गतिविधियों की प्रकृति में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं किए गए।

कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नाम के परिवर्तन के अनुपालन में निगमन प्रमाणपत्र के अनुसार, कंपनी का नाम 8 सितंबर, 2017 से "मीडिया लैब एशिया" से "डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन" में बदल दिया गया है। ज्ञापन और लेख परिवर्तनों को दर्शाने के लिए संघ में संशोधन किया गया है। कंपनी का उद्देश्य सबसे उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ आम आदमी तक पहुंचाना है। इसके अलावा, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शामिल करने के लिए कुछ बदलाव किए गए और ई-स्वास्थ्य / टेलीमेडिसिन, ई-कृषि, ई-भुगतान आदि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शामिल किए गए है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बढ़ती कैशलेस अर्थव्यवस्था की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ावा देता है और इसकी व्यापक स्वीकृति में आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है। यह डिजिटल पहल के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए नवाचार को बढ़ावा देता है और मॉडल विकसित करता है और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से सरकार भागीदारी शासन और नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है।

12. वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के बीच में, जो बैलेंस शीट व रिपोर्ट की तारीख से संबधित हो, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ऐसे कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं थीं।

13. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण:

सतर्कता तंत्र लागू नहीं है, क्योंकि यह कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत नहीं आती है।

14. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

कंपनी के पास संचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन की सीमा को छोड़कर और बाद के पैराग्राफों में बोर्ड द्वारा अलग से स्पष्ट किए जाने के अलावा, डिजाइन या संचालन में कोई रिपोर्ट योग्य कमजोरियां नहीं देखी गईं। समीक्षा किए जाने वाले वर्ष के लिए खातों के संबंध में कोई वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी नहीं है।

15. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण

15.1. ऊर्जा का संरक्षण

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एक ऊर्जा गहन इकाई नहीं है। हालांकि, सभी स्तरों पर ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी उपाय किए गए हैं।

15.2. तकनीकी

कंपनी प्रमुख कार्य क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों के कार्यान्वयन से अवगत है और अपने संचालन को आगे बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकियों का उपयोग किया है।

16. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

विवरण	**रुपए**
विदेशी मुद्रा आय	Nil
विदेशी मुद्रा व्यय	6,25,611

17. जोखिम और आंतरिक पर्याप्तता

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसकी गतिविधियों की प्रकृति और इसके संचालन के आकार और जटिलता के अनुरूप है। इनका नियमित परीक्षण किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण टिप्पणियों और उन पर की गई कार्रवाइयों की सूचना लेखा समिति को दी जाती है। लेखा समिति कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है और कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रणालियों को मजबूत करने से संबंधित लेखापरीक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

18. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी हमेशा कंपनी के साथ काम करने वाले प्रत्येक व्यक्तिगत कर्मचारी के लिए एक सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल देती है। कंपनी हमेशा यौन उत्पीड़न सहित भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त वातावरण बनाने बनाने का प्रयास करती है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने यौन उत्पीड़न निवारण समिति ("पीएससी") का गठन किया है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, समिति को यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

19. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने पत्र संख्या/CA.V/COY/ CENTRALGOVERNMENT, Media(2)/523 दिनांक 18 अगस्त, 2020 के तहत NeGD और MyGov, डिजिटल इंडिया कॉपोरेशन के मंडल खातों का लेखा परीक्षण करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में मैसर्स यार्दिप्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 2, समाधान, पहली मंजिल, अगरकर चौक, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 069 को नियुक्त किया और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में मैसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 18/12, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005 को नियुक्त किया।

20. सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक, मैसर्स यार्दिप्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के खातों पर अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

	लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणियाँ / उत्तर
	राय का आधार	
	i. जैसा कि नोट संख्या 37 में बताया गया है, कंपनी के NeGD और MyGov डिवीजनों को पार्टियों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है और परिणामी राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। खाते के विवरण/शेष की पुष्टि की	डिवीजन ने प्राप्त / देय राशि पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं।

	प्राप्ति पर उत्पन्न परिणामी समायोजन की सीमा, वर्तमान में सुनिश्चित नहीं है।	
	i. *ii. NeGD ने 31 मार्च 2020 तक खातों की पुस्तकों में दी गई रुपए 3,28,70,953 की देयताओं देनदारियों पर टीडीएस नहीं काटा है, जिस पर कुल देयता रुपये 25,78,490 है। उपरोक्त टीडीएस देयता पर ब्याज देय नहीं है।*	लेखा पुस्तकों में बकाया देयता का प्रावधान किया गया है। टीडीएस की गैर-कटौती का लेखापरीक्षा अवलोकन बकाया देयता के लिए किए गए प्रावधान पर है। हालांकि, वास्तविक देयता के आधार पर NeGD द्वारा टीडीएस का भुगतान किया जा रहा है।

21- आभार

निदेशक मंडल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित सरकारी विभागों, कार्यान्वयन एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और बैंकों से कंपनी को मिले मूल्यवान समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल भी कंपनी के संचालन में उनके योगदान के लिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

(अभिषेक सिंह)	**(अजय प्रकाश साहनी**)
प्रबंध निदेशक व सीईओ	निदेशक
[DIN : 02645352]	**[DIN : 03359323]**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28/10/2021

अनुलग्नक -1
फ़ॉर्म नंबर एमजीटी-9
31 मार्च, 2020 वित्तीय वर्षांत के लिए वार्षिक विवरणी का सारांश

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी
(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

i.	सीआईएन	:	U72900MH2001NPL133410
ii.	पंजीकरण तारीख	:	20 सितंबर, 2001
iii.	कंपनी का नाम	:	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
iv.	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	:	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत) के तहत निगमित। एक पब्लिक कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल/पूंजी नहीं है।
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	:	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन चौथी मंजिल, समृद्धि वेंचर पार्क, सेंट्रल एमआईडीसी रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400093 दूरभाष: (022) 28312931 / 28327505 फैक्स: (022) 8379158
vi.	क्या सूचीबद्ध/लिस्टेड कंपनी है- हां / नहीं	:	नहीं
vii.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो	:	उपलब्ध नहीं

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल टर्नओवर में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं: -

क्रम संख्या	**मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण**	**उत्पाद/सेवा का** NIC **कोड**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का %**
1	**आम आदमी के लाभ के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, विकास और नियोजन।**	**उपलब्ध नहीं**	शून्य

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों के पर्टिक्युलर्स: शून्य

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (टोटल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप): कंपनी के पास इक्विटी शेयर पूंजी नहीं है। यह एक "गारंटी कंपनी" है।

i.	श्रेणी अनुसार शेयर धारिता	:	उपलब्ध नहीं
ii.	श्रेणी अनुसार शेयर धारिता	:	उपलब्ध नहीं
iii.	प्रमोटरों की शेयरधारिता में बदलाव	:	उपलब्ध नहीं
iv.	शीर्ष दस शेयरधारकों (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा) के शेयर होल्डिंग पैटर्न	:	उपलब्ध नहीं
v.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर धारिता	:	उपलब्ध नहीं

V. कर्जदारी/ऋणग्रस्तता

बकाया/उपार्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता (बगैर देय भुगतान के)

विवरण	डिपॉज़िट्स को छोड़कर सिक्योर्ड लोन्स	अनसिक्योर्ड लोन्स	डिपॉज़िट्स	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि ii) देय ब्याज, लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
• वृद्धि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
• कटौती	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल बदलाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि ii) देय ब्याज, लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

A. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक: लागू नहीं
B. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक: लागू नहीं
C. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक: लागू नहीं

VII. जुर्माना / दंड / अपराधों की कंपाउंडिंग:

प्रकार	**कंपनी अधिनियम की धारा**	**संक्षिप्त विवरण**	**लगाए गए जुर्माना/दंड/ कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण**	**प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट]**	**अपील की गई, यदि कोई हो (विवरण दें)**
A. कंपनी					
जुर्माना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपाउंडिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
B. निदेशक					
जुर्माना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपाउंडिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

C. अन्य अधिकारी					
जुर्माना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपाउंडिंग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[**डीआईएन** : 02645352]

(अजय प्रकाश साहनी)
निदेशक
[**डीआईएन** : 03359323]

दिनांक : 28/10/2021

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

<u>स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट</u>

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की ऑडिट रिपोर्ट

क्वालिफाइड ओपिनियन

हमने **मेसर्स डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन**, ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2020 तक की बैलेंस शीट, आय और व्यय का विवरण, वर्षांत के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं। इसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश भी शामिल है, जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त की गई मेसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न (NeGD) और MyGov प्रभागों को लेकर उक्त वर्षांत के लिए ओपिनियन शामिल है।

हमारे ओपिनियन, प्राप्त जानकारी, और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण (हमारी रिपोर्ट के क्वालिफाइड ओपिनियन अनुभाग में वर्णित मामलों को छोड़कर) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुरूप ज़रूरी जानकारी देते हैं, और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी के 31 मार्च, 2020 तक के मामलों की स्थिति, वर्षांत के लिए व्यय से अधिक आय, और उसके नकदी प्रवाह का विवरण का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण सामने रखते हैं।

क्वालिफाइड ओपिनियन का आधार

- **i.** जैसा कि नोट संख्या 38 में बताया गया है, कंपनी के NeGD और MyGov प्रभागों को पार्टियों से बैलेंस की प्रत्यक्ष पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है और परिणामी राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है। परिणामी अड्जस्टमेंट्स की सीमा, यदि कोई हो, जो खाते के विवरण/शेष राशि की पुष्टि की प्राप्ति पर दिखाई देगी, वर्तमान में पता लगाने योग्य/ सुनिश्चित नहीं है।
- **ii.** NeGD ने 31 मार्च 2020 तक खातों की बुक्स में दर्ज 3,28,70,953 रुपये की देनदारियों पर टीडीएस की कटौती नहीं की है, जिस पर कुल देयता 25,78,490 रुपये है। उपरोक्त टीडीएस देयता पर लगने वाला ब्याज उपलब्ध नहीं है ।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों के ऑडिट में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों' अनुभाग में वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नियमों के तहत भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक जरूरतों का पालन करने के साथ-साथ हमने आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारे ओपिनियन को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण मामले

हम वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों की ओर प्रकाश डालते हैं:

a) कंपनी ने 31 मार्च 2020 वर्षांत के दौरान कुल रु.17,66,16,423/- पूंजीगत व्यय और रु.13,52,955/- अर्जित ब्याज सहित खर्चों का लेखा-जोखा किया है, जो कि 51 संस्थाओं/विभागों से प्राप्त ऑडिट किए गए खातों के स्टेटमेंट के आधार पर है। (नोट 28 देखें)

b) कंपनी ने 31 मार्च 2020 वर्षांत के दौरान कुल रु. 24,79,53,051/- पूंजीगत व्यय और 13,10,453/- रुपये अर्जित ब्याज सहित खर्चों का लेखा-जोखा किया है, जो कि 45 संस्थानों/विभागों से प्राप्त और संबंधित संस्थानों/विभागों के प्रमुखों द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर है। ये खाते संबंधित संस्थानों/विभागों के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा ऑडिट के अधीन हैं। (नोट 28 देखें)

c) 31 मार्च, 2020 तक संस्थानों/विभागों को दी गयी 54,39,20,318/- रुपये की कुल पेशगी में से, 45 संस्थानों/विभागों को दी गयी रु. 15,57,51,941/- (रु.5,75,18,630 - एनईजीडी और 9,82,33,311 - टीडीडीडी) की कुल पेशगी एक वर्ष से अधिक अवधि से बकाया है और 31 मार्च, 2020 वर्षांत के दौरान खातों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों का कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ था। (नोट 28 देखें)

परिणामी अड़जस्टमेंट्स की सीमा, यदि कोई हो, ऊपर उल्लिखित संस्थानों/विभागों से खाता विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर दिखाई देगी, वर्तमान में पता लगाने योग्य/ सुनिश्चित नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारे ओपिनियन में कोई बदलाव नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हों। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रभावी कार्य व वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति की प्रासंगिकता भी शामिल है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हों और विवरणों की गलत बयानी से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने को लेकर, प्रबंधन कंपनी को जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण की गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारा ओपिनियन शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा विवरण की गलत बयानी मौजूद होने पर उसका पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा हो।

एसए के अनुसार किए गए ऑडिट के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान हर सम्भावना पर नज़र बनाए रखते हैं। हम:

- वित्तीय विवरणों में सामग्री के गलत विवरणों के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, हम उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- हम परिस्थितियों अनुसार ऑडिट की प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का संचालन प्रभावशाली है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- हम लेखांकन के चल रहे कार्यों के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की प्रगति करने वाले व्यापार के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी सुचारु के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- हम प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकित करते है कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में मौजूद किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन शासन के प्रभारी लोगों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्र के संबंध में और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बार में, जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है।

अन्य मामले :

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और MyGov डिवीजन के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया है, जिनकी वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2020 तक 132,23,43,197 [NeGD : Rs.90,16,62,122, MyGov : Rs.42,06,81,075] रुपये की कुल संपत्ति और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के कुल आय/व्यय का कुल योग रु.118,27,08,712 [NeGD: रु.87,61,09,610, MyGov: रु.30,65,99,102] दर्शाती है। इन प्रभागों के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का ऑडिट शाखा के लेखा परीक्षकों यानी मेसर्स विनय जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली, द्वारा की किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक यह इन प्रभागों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण का मामला है, हमारा ओपिनियन पूरी तरह से शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारे 'ओपिनियन' में कोई बदलाव नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016, ("आदेश") द्वारा आवश्यक है, क्योंकि हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
   a) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे ऑडिट के काम के लिए हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विचार के लिए आवश्यक थे;
   b) हमारे ओपिनियन में कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चला है;
   c) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत ऑडिट की गई कंपनी के प्रभागों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित तरीके से संबोधित किया गया है।
   d) बैलेंस शीट और आय और व्यय का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा संबोधित गए कैश फ्लो स्टेटमेंट, खाते के दस्तावेज़ों के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ मेल खाते हैं जिन पर हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;
   e) हमारे ओपिनियन में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं;
   f) 31 मार्च, 2020 को निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के तहत 31 मार्च, 2020 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
   g) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे ओपिनियन में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमें:
      i. कंपनी के पास एक लंबित मुकदमा है और कंपनी के अनुसार कोई वित्तीय प्रभाव प्रत्याशित नहीं है क्योंकि कंपनी इस मामले में तीसरा पक्ष है।
      ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था; ऐसे में किसी भी संभावित नुकसान पर टिप्पणी करने का सवाल ही नहीं उठता।
      iii. ऐसे कोई खाते नहीं थे जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर निष्कर्ष अनुलग्नक-बी के रूप में संलग्न है।

यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म की पंजीकरण संख्या: 111727W/W100101

राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 116172
UDIN: 21116172AAAAWZ4716

स्थान: मुंबई
दिनांक: 28 अक्टूबर, 2021

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक ए

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स (नियमों) पर रिपोर्ट

हमने मेसर्स डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ("कंपनी") की 31 मार्च 2020 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स का ऑडिट किया है (वर्षांत की उसी तारीख के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को लेकर हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन अनुसार)।

आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा आंतरिक कंट्रोल्स के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक कंट्रोल्स के आधार पर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताया गया है। इन जिम्मेदारियों में अपने व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करना शामिल है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर कंपनी के आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स पर राय व्यक्त करें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार, और आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के तहत अपना ऑडिट किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक कर्तव्यों का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या इन कंट्रोल्स ने सभी मामलों में प्रभावी ढंग से काम किया।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की समझ प्राप्त करना, मटेरियल वीकनेस के जोखिम का आकलन करना, और इस आकलन के आधार पर आंतरिक कंट्रोल्स के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के मटेरियल मिसस्टेटमेंट के जोखिमों का आकलन करना शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या फिर त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर कंपनी की आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स प्रणाली पर हमारे ऑडिट ओपिनियन के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर कंपनी के आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के

साथ कंपनी की सम्पत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और खर्चे कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की मंजूरी के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की निहित सीमाओं की वज़ह से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण मौजूद हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है, जिसमें मिलीभगत की संभावना या कंट्रोल्स के अनुचित मैनेजमेंट ओवरराइड शामिल हैं। इसके अलावा, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि शर्तों/परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स अपर्याप्त/अप्रभावी हो सकते हैं या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन यथानुसार न हो।

ओपिनियन

हमारे ओपिनियन के अनुसार (कंट्रोल्स क्राइटेरिया के उद्देश्यों की उपलब्धि को लेकर ऊपर वर्णित मटेरियल वीकनेस से उत्पन्न संभावित प्रभावों को छोड़कर), कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स को बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर इस तरह के आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कंपनी द्वारा आंतरिक कंट्रोल्स के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक कंट्रोल्स के आधार पर स्थापित किए गए हैं, जैसा कि वित्तीय रिपोर्टिंग को लेकर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय कंट्रोल्स की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताया गया है।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू किए गए ऑडिट परीक्षणों के स्वरुप, समय और सीमा का निर्धारण करते वक़्त ऊपर बताई गई और रिपोर्ट की गई मटेरियल वीकनेस को ध्यान में रखा है, और यह मटेरियल वीकनेस कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे ओपिनियन को प्रभावित नहीं करती है।

यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म की पंजीकरण संख्या: 111727W/W100101
UDIN: 21116172AAAAWZ4716

राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 116172

स्थान: मुंबई
दिनांक: 28 अक्टूबर 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "बी"

(हमारी उस दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं की रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश।

क्रम संख्या	दिशा-निर्देश	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए आईटी प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थ के साथ खातों की इंटीग्रिटी पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	हां, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है और आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेनदेन संसाधित नहीं किया जाता है।	एन.ए
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई रिस्ट्रक्चरिंग या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ़ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय विवरण दिया जा सकता है।	एन.ए.- हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार विभाग ने कोई ऋण नहीं लिया है।	एन.ए
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हां, उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर हमारा ओपिनियन है कि विचलन का कोई मामला नहीं है।	एन.ए

यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म की पंजीकरण संख्या: 111727W/W100101

राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 116172
UDIN: 21116172AAAAWZ4716

स्थान: मुंबई
दिनांक: 28 अक्टूबर 2021

वित्तीय विवरण

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN: U72900MH2001NPL133410

बैलेंस शीट (मार्च 31, 2020को)

	विवरण	नोट नं.	मार्च 31, 2020 को राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 को राशि (रु.)
I.	**संपत्ति और देनदारियां**			
1	अंशधारी निधि			
	(a) शेयर पूंजी		-	-
	(b) रिजर्व और अधिशेष	3	25,58,50,565	27,38,62,504
	(c)आकस्मिकताओं के लिए आरक्षित निधि	4	16,65,58,948	15,26,35,781
2	गैर वर्तमान देनदारियां			
	(a) दीर्घावधि प्रोविजन्स	5	1,63,81,143	1,47,91,482
3	वर्तमान देनदारियां			
	(a) अन्य वर्तमान देनदारियां	6	2,02,94,23,702	1,45,57,83,475
	(b) अल्पावधि प्रोविजन्स	7	32,43,451	14,22,824
	कुल		**2,47,14,57,809**	**1,89,84,96,066**
II.	**परिसंपत्तियां**			
1	गैर वर्तमान संपत्तियां			
	(a) अचल संपत्तियां	8		
	(i) मूर्त संपत्तियां		9,24,13,085	9,37,47,405
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		16,34,37,480	18,01,15,099
	(iii) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां		1,54,96,712	9,10,38,405
			27,13,47,277	36,49,00,909
	(b) गैर वर्तमान निवेश	9	2,400	2,400
	(c) दीर्घावधि ऋण और पेशगी	10	-	-
	(d) अन्य गैर वर्तमान संपत्तियां	11	49,40,553	70,40,171
2	वर्तमान संपत्तियां			
	(a) नकद और नकद समकक्ष	12	1,60,57,54,211	1,00,72,83,995
	(b) अल्पावधि ऋण और पेशगी	13	54,41,83,467	47,64,60,693
	(c) अन्य वर्तमान संपत्तियां	14	4,52,29,901	4,28,07,898
	कुल		**2,47,14,57,809**	**1,89,84,96,066**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप	2	-	-

उपरोक्त नोट्स आय और व्यय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें इसके साथ ही पढ़ा जाना चाहिए।

एक ही तिथि से जुड़ी हमारी रिपोर्ट पर आधारित

यार्डी प्रभुएंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टड अकाउंटेंट

कंपनी पंजीकरण नं. : 111727W/W100101

UDIN: 21116172AAAAWZ4716

सीए राहुल रिंगे

पार्टनर

सदस्यता नं. : 116172

बोर्ड की ओर से एवं बोर्ड के लिए

(अभिषेक सिंह)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

DIN : 02645352

अजय प्रकाश साहनी

निदेशक

DIN : 03359323

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : अक्टूबर 28, 2021

31 मार्च, 2020 वर्षांत के लिए आय और व्यय का विवरण

	विवरण	नोट नं.	मार्च 31, 2020 को	मार्च 31, 2019 को
I.	सहायताअनुदान खाते से अंतरित (नोट 2(g) एवं 24 देखें)	15	1,73,02,93,193	2,33,74,82,766
II.	अन्य आय	16	19,03,618	36,85,776
III.	**कुल**		**1,73,21,96,811**	**2,34,11,68,542**
	व्यय			
	अनुसंधान एवं/या विकास व्यय (नोट 2(l) देखें)	17	1,12,18,79,541	1,41,24,72,834
	कर्मचारी लाभ व्यय	18	13,88,39,167	28,36,47,075
	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	19	47,14,78,103	64,50,48,633
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	- अनुसन्धान संपत्तियों पर		4,80,55,593	6,71,90,144
	- अन्य सम्पत्तियों पर		4,45,27,372	4,37,60,604
			9,25,82,965	11,09,50,748
	घटाव: अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से अंतरित (नोट 3 देखें)		9,25,82,965	11,09,50,748
IV.	**कुल**		**1,73,21,96,811**	**2,34,11,68,542**
V.	एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स से पहले 'व्यय से अधिक आय'(III-IV)		-	-
VI.	एक्सेप्शनलआइटम्स		-	-
VII.	एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स से पहले 'व्यय से अधिक आय' (V - VI)		-	-
VIII.	एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स		-	-
IX.	टैक्स से पहले 'व्यय से अधिक आय'(VII- VIII)		-	-
X.	टैक्स पर व्यय:		-	-
XI.	वर्ष के लिए 'व्यय से अधिक आय' (IX-X)		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप 2

उपरोक्त नोट्स आय और व्यय विवरण का एक अभिन्न अंग हैं और उन्हें इसके साथ ही पढ़ा जाना चाहिए।

एक ही तिथि से जुड़ी हमारी रिपोर्ट पर आधारित
यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टड एकाउंटेंट्स
कंपनी पंजीकरण नं.: 111727W/W100101
UDIN: 21116172AAAAWZ4716

सीए राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता नं.: 116172

बोर्ड की ओर से एवं बोर्ड के लिए

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
DIN : 02645352

अजय प्रकाश साहनी
निदेशक
DIN : 03359323

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अक्टूबर 28, 2021

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

मार्च 31, 2020 वर्षांत के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

	विवरण	राशि (रु.) 2019-20	राशि (रु.) 2018-19
A	**परिचालन गतिविधियों के लिए नकदी प्रवाह**		
	सहायता अनुदान खाते से आय एवं व्यय खाते में अंतरण	(1,73,02,93,193)	(2,33,74,82,766)
	'मूल्यह्रास के लिए रिज़र्व और अधिशेष' से अंतरण	(9,25,82,965)	(11,09,50,748)
	प्रोजेक्ट ओवरहेड्स से अंतरण	-	(1,06,533)
	आय एवं व्यय खाते में कुल अंतरण	**(1,82,28,76,158)**	**(2,44,85,40,047)**
	परिचालन गतिविधियों द्वारा प्राप्त नेट कैश को नेट इनकम (व्यय) के साथ मिलान के लिए		
	मूल्यह्रास	9,25,82,965	11,09,50,748
	अडजस्टेड/डिस्कार्डेड/रिटन ऑफ अचल संपत्तियां	4,88,609	4,14,170
	संपत्ति खरीद के लिए रिजर्व से अंतरण	-	7,31,600
	भारत सरकार को वापस किया गया अनुदान	(5,89,37,634)	(17,36,74,601)
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	2,79,58,32,542	2,76,72,03,927
	फ्लैक्सी जमाराशि पर ब्याज	7,68,96,364	7,20,71,940
	प्राप्त हुए प्रोजेक्ट ओवरहेड्स	32,65,416	-
	कार्यशील पूंजी में बदलाव से पहले परिचालन नकदी का इनफ्लो (ऑउटफ्लो)	**1,08,72,52,104**	**32,91,57,737**
	बदलाव:		
	संपत्ति में कमी/(वृद्धि)	**(6,80,45,159)**	**(7,63,57,915)**
	अन्य गैर वर्त्तमान सम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)	20,99,618	35,91,494
	अल्पावधि ऋणों और पेशगी में कमी/(वृद्धि)	(6,77,22,774)	(4,76,52,803)
	अन्य वर्तमान सम्पत्तियों में कमी /(वृद्धि)	(24,22,003)	(3,22,96,606)
	देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	**(42,26,56,043)**	**3,42,17,258**
	अन्य वर्त्तमान देनदारियों में कमी /(वृद्धि)	(42,60,66,331)	3,18,14,575
	दीर्घावधि प्रोविज़न्स में कमी /(वृद्धि)	15,89,661	36,36,799
	अल्पावधि प्रोविज़न्स में कमी /(वृद्धि)	18,20,627	(12,34,116)
	परिचालित गतिविधियों के लिए नेट कैश इनफ्लो (ऑउटफ्लो)	**59,65,50,902**	**28,70,17,080**
B	**निवेश गतिविधियों के लिए नकदी प्रवाह**		
	वर्क-इन-प्रोग्रेस सहित अचल संपत्तियों में वृद्धि	4,82,058	(6,67,20,914)
	अप्रचलित आइटम्स के निपटान पर लाभ	14,37,256	-
	निवेश गतिविधियों में उपयोगित नेट कैश	**19,19,314**	**(6,67,20,914)**
C	**वित्तीय गतिविधियों के लिए कैश फ्लो**		
	वित्तीय गतिविधियों में उपयोगित नेट कैश	-	-
	नकद और नकद समकक्षों में कुल वृद्धि/(कमी) (A + B + C)	**59,84,70,216**	**22,02,96,166**
	शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	1,00,72,83,995	78,69,87,829
	अंत में नकद और नकद समकक्ष	**1,60,57,54,211**	**1,00,72,83,995**

एक ही तिथि की हमारी रिपोर्ट पर आधारित ।

यार्डी प्रभु एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टड एकाउंटेंट्स
कंपनी पंजीकरण नं.: 111727W/W100101
UDIN: 21116172AAAAWZ4716

सीए राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता नं.: 116172

बोर्ड की ओर से एवं बोर्ड के लिए

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
DIN : 02645352

अजय प्रकाश साहनी
निदेशक
DIN : 03359323

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : अक्टूबर 28, 2021

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
CIN : U72900MH2001NPL133410
31 मार्च, 2020 वर्षांत के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

1 **पृष्ठभूमि :**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन [पूर्व में मीडिया लैब एशिया](बाद में 'कंपनी' के नाम से संदर्भित) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित 'नॉट-फॉर-प्रॉफिट' कंपनी है। कंपनी भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभा रही है और ई-स्वास्थ्य / टेलीमेडिसिन, ई-कृषि, ई-भुगतान आदि के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आगे बढ़ती कैशलेस अर्थव्यवस्था के सुरक्षा संबंधी मामलों को बढ़ावा देता है और इसे व्यापक रूप से अपनाये जाने हेतु सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है। यह डिजिटल पहल के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए इनोवेशन मॉडल्स के विकास को बढ़ावा देता है, और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मस के ज़रिए शासन और सरकार में नागरिकों की सहभागिता और जुड़ाव को भी बढ़ावा देता है। कंपनी का उद्देश्य सबसे उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ आम आदमी तक पहुंचाना है।

कंपनी को 20 सितंबर 2001 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 [अब कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8] के तहत "गारंटी द्वारा लिमिटेड" कंपनी के रूप में और शेयर पूंजी न रखने वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।

कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र (नाम बदलने के लिए) के अनुसार कंपनी का नाम 8 सितंबर 2017 को "मीडिया लैब एशिया" से बदलकर "डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन" कर दिया गया है।

डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन [पूर्व में मीडिया लैब एशिया] के वित्तीय विवरणों में (i) नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD), (ii) MyGov डिवीजन (iii) टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट डिवीजन के खाते शामिल हैं, और (a) इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एकेडमी (ITRA) और (b) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के परियोजना खाते शामिल हैं।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत **नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD)** एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग है। NeGD को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया और ई-क्रांति पहल के विभिन्न कार्यक्रम प्रबंधन पहलुओं में सहायता करने के लिए बनाया गया है। इन कार्यक्रमों में रणनीतिक योजना और क्षमता निर्माण; मानकों, नीतियों और दिशानिर्देशों का विकास; जागरूकता और संचार; आकलन और मूल्यांकन; और भौतिक और डिजिटल/सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स की मदद से नागरिकों की सहभागिता शामिल हैं। NeGD, राष्ट्रीय डिजिटल लॉकर, राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केंद्र और डिजिटल इंडिया के तहत चलने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। NeGD के पास पूर्ण वित्तीय और मानव संसाधन स्वायत्तता है। NeGD के खाते, वित्त और मानव संसाधन को प्रभाग द्वारा ही नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है, और प्रभाग का नेतृत्व NeGD के अध्यक्ष और सीईओ द्वारा किया जाता है।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत **MyGov** एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग है। MyGov प्लेटफार्म अपनी तरह की एक अनोखी पहल है, जिसका उद्देश्य शासन में बड़े स्तर पर आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। MyGov का आईडिया एक इंटरफ़ेस की मदद से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके सरकार को आम नागरिकों के करीब लाता है, ताकि भारत के सामाजिक और आर्थिक बदलाव में योगदान देने के अंतिम लक्ष्य हेतु आम नागरिकों और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विचारों और दृष्टिकोण का स्वस्थ आदान-प्रदान किया जा सके।

MyGov का उद्देश्य एक ऐसा इंटरनेट आधारित प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करना है जो सभी नागरिकों को नीति निर्माण और निष्पादन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने विचार रखने, प्रतिक्रिया देने और भागीदार बनने में सक्षम बना सके। MyGov के खाते, वित्त और मानव संसाधन को प्रभाग द्वारा ही नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है, और इस प्रभाग का नेतृत्व MyGov के सीईओ द्वारा किया जाता है।

टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट डिवीजन(टीडीडीडी) - टीडीडी प्रभाग का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए इनोवेटिव समाधानों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका संवर्धन (कृषि, शिल्प, एमएसएमई) और दिव्यांगजन सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लाभ उपलब्ध करवाना है। यह प्रभाग सहयोगात्मक अनुसंधान के माध्यम से प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और उन्हें लोगों के दैनिक जीवन में लाने पर काम करता है।
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान डीआईसी-टीडीडीडी द्वारा आईटी अनुसंधान अकादमी कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आईटीआरए) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो भारत भर में आईटी और संबंधित संस्थानों में "सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स (आईसीटीई)" और इसके अनुप्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय संसाधन बनाने में मदद करने के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**,** भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(1)/2010-आईटीआरए, दिनांक 04.11.2010, में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा "आईटी रिसर्च अकादमी (आईटीआरए)" नामक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पांच वर्षों की अवधि के लिए कुल 148.83 करोड़ रुपये सहायता अनुदान को मंजूरी दी है। आईटीआरए परियोजना ने मंजूरी आदेश संख्या 1(1)/2010-आईटीआरए, दिनांक 22.12.2010, के तहत आदेश की पहली तारीख से ही अपना संचालन शुरू कर दिया था। आईटीआरए परियोजना की अवधि को परियोजना परिव्यय में कोई वृद्धि किए बिना 31 दिसंबर 2019 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है। तदनुसार**,** आईटीआरए परियोजना 31 दिसंबर**,** 2019 को पूरी हो गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम) और आईटी/आईटी इनेबल्ड सर्विसेज (आईटीईएस) क्षेत्रों में पीएचडी की संख्या बढ़ाने के लिए है। कार्यान्वयन एजेंसी के रूप डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सचिवालय सहायता, प्रबंधकीय सहायता और संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा।

2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के तहत और आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांत ('जीएएपी') के तहत लेखांकन मानकों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का पालन करने के लिए तैयार किया गया है। खातों को एक्रुअल बेसिस पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन के तहत और गोइंग कंसर्न असम्प्शन के तहत तैयार किया गया है। लेखांकन नीतियों को (नए जारी किए गए लेखांकन मानकों की वजह से हुए बदलावों को छोड़कर या किसी मौजूदा लेखा मानक में संशोधन जिसके कारण अब तक उपयोग की जा रही लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है) समान रूप से लागू किया गया है।

(b) एस्टिमेट्स का उपयोग:

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को एस्टिमेट्स और असम्प्शंस की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम एस्टिमेट्स से भिन्न हो सकते हैं। एस्टिमेट्स से जुडी हुई परिस्थितियों में बदलाव होने पर प्रबंधन स्वतः जागरूक हो जाता है, उसी अनुसार एस्टिमेट्स में उपयुक्त बदलाव किए जाते हैं। एस्टिमेट्स में बदलाव उन अवधियों के अनुसार वित्तीय विवरणों में दर्ज कर लिए जाते हैं, और अगर महत्वपूर्ण हैं, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकट किया गया है।

(c) नकद और नकद समकक्ष:

"नकद" में कैश ऑन हैंड और बैंकों में डिमांड डिपॉजिट शामिल हैं। नकद समकक्ष अल्पकालिक बैलेंस राशि (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ) और अत्यधिक लिक्विड निवेश हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात राशि में बदली जा सकती है और जो मूल्य में बदलाव के मामूली से जोखिम के अधीन हैं।

(d) मूर्त और अमूर्त अचल संपत्तियां:

मूर्त संपत्तियां "हिस्टोरिकल कॉस्ट घटाव संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानि," यदि कोई हो, के आधार पर हैं। कॉस्ट में बॉरोइंग कॉस्ट, इनवर्ड फ्राइट, शुल्क, कर और संपत्ति के अधिग्रहण और इंस्टालेशन से संबंधित आकस्मिक खर्च शामिल हैं, जो परिसंपत्तियों के इच्छित उपयोग के लिए उन्हें कार्यशील स्थिति में लाने के लिए किये गए हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों/संस्थानों द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षित या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा प्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर पूंजीकृत किया गया है, जो कि आवधिक अंतराल पर संबंधित संस्थाओं से प्राप्त हुई हैं।

अमूर्त संपत्तियां इस तरह की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल के आधार पर दर्ज की गयी हैं, और "कॉस्ट घटाव संचित परिशोधन और हानि" के आधार पर हैं।

(e) मूल्यह्रास / परिशोधन:

लीज़होल्ड परिसर के अलावा मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के आधार पर (संपत्ति के प्रभावी उपयोग की तारीख से संपत्ति के अनुमानित उपयोगी लाइफ तक) किया गया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी अचल संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी लाइफ का आकलन किया है और अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी लाइफ को अपनाया है। व्यक्तिगत रूप से ₹ 5,000 या उससे कम लागत वाली संपत्तियों का अधिग्रहण वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है। लीज़होल्ड परिसर को लीज़ की प्राथमिक अवधि के दौरान स्ट्रेट लाइन बेसिस पर परिशोधित किया गया है। प्राप्त किए गए केमिकल्स और कंपोनेंट्स का अधिग्रहण वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से युक्त अमूर्त संपत्ति को पांच साल की अवधि के दौरान या अनुमानित उपयोगी लाइफ के दौरान (जो भी कम हो) स्ट्रेट लाइन बेसिस पर परिशोधित किया गया है।
सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्ति को पूंजीकृत किया गया है और एक समतुल्य राशि को अचल सम्पत्तियों के लिए रिज़र्व में अंतरित कर दिया गया है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के डिलीशन को अचल सम्पत्तियों के लिए रिज़र्व के साथ एडजस्ट किया गया है।

(f) निवेश

दीर्घकालिक निवेश (गैर वर्तमान निवेशों में शामिल) को "कॉस्ट घटाव ह्रास के लिए प्रोविज़न" के आधार पर (अस्थायी के अलावा) ऐसे निवेशों के मूल्य में वहन किया गया है। वर्तमान निवेश को लोअर ऑफ़ कॉस्ट और फेयर वैल्यू के आधार पर वहन किया गया है, और परिणामी गिरावट, यदि कोई हो, को राजस्व के साथ एडजस्ट किया गया है। निवेश की लागत में अधिग्रहण शुल्क जैसे ब्रोकरेज, शुल्क और ड्यूटीज शामिल हैं।

(g) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान किए गए व्यय के लिए उपयोग की गई सहायता अनुदान राशि को किए गए व्यय की सीमा तक आय और व्यय खाते में अंतरित कर दिया गया है। अचल संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग की जाने वाली सहायता अनुदान राशि का हिस्सा अचल संपत्तियों के लिए रिज़र्व में स्थानांतरित कर दिया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान लगाए गए मूल्यह्रास के समतुल्य राशि को अचल सम्पत्तियों के लिए रिज़र्व से आय और व्यय के विवरण में स्थानांतरित किया गया है और मूल्यह्रास शुल्क से घटा दिया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त हिस्से को एक देनदारी के रूप में दर्ज किया गया है।

(h) कर्मचारी लाभ:

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

सेवाओं को प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देनदारियों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के लाभों का अनुमान लगाया गया है और उस अवधि के लिए प्रदान किया गया है जिसमें कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की गयी है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी एक परिभाषित अंशदान योजना के माध्यम से भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा विनियमित यह भविष्य निधि योजना एक परिभाषित अंशदान योजना है। योजना के तहत भुगतान/देय अंशदान को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

(iii) परिभाषित लाभ योजना

ग्रेच्युटी (वित्त पोषित) प्रदान करने की लागत प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर किए गए एक्चुरियल वैल्यूएशन/बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके निर्धारित की गयी है। कंपनी ने अपनी ग्रेच्युटी योजना को संचालित करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक

समझौता किया है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि ग्रेच्युटी अधिनियम के भुगतान के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन है।

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों जैसे कि अनुपस्थिति के लिए कंपनसेशन के दायित्व अवधि के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दर्ज किये गए हैं ।
संविदात्मक कर्मचारियों के संबंध में, अवकाश नकदीकरण (जिसमें लाभ भी शामिल है) संबंधित कर्मचारियों के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार (पूर्ण दायित्व के आधार पर और बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार कर्मचारियों की अप्रयुक्त संचित छुट्टी के आधार पर) प्रदान किये गए हैं ।

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट और अन्य संगठनों पर किए गए खर्च:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट और अन्य संगठनों को पेशगियाँ या तो आय और व्यय के विवरण में खर्च की गयी हैं या खातों के विवरण के आधार पर अचल संपत्तियों के रूप में पूंजीकृत की गयी हैं, जो कि स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित की गयी हैं या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा प्रमाणित की गयी हैं। इन्हें समय-समय पर संबंधित संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया गया।

(j) विदेशी मुद्रा लेनदेन:

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेन-देन की तारीख पर मौजूद विनिमय दरों के आधार पर दर्ज किया गया है । वर्ष के दौरान सेटल किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उसी अवधि के आय और व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्षांत दरों में परिवतर्तित किया गया है और परिणामी विनिमय अंतरों को आय और व्यय के विवरण में स्थानांतरित किया गया है। गैर-मौद्रिक आइटम्स को (हिस्टोरिकल कॉस्ट पर विदेशी मुद्रा के रूप में) लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके दर्ज किया गया है।

(k) लीज्ड सम्पत्तियां:

लीज पर ली गयी संपत्तियां जिनमें स्वामित्व के जोखिमों और रिवार्ड्स का एक प्रमुख हिस्से पर लेसर का दायित्व होता है, उन्हें ऑपरेटिंग लीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लीज पर ली गयी संपत्ति के किराये और अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

(l) अनुसंधान और/या विकास खर्च:

अनुसंधान और/या विकास व्यय में कंपनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट और अन्य संगठनों द्वारा अनुसंधान, विकास, परिनियोजन और कार्यान्वयन गतिविधियों के संचालन के लिए किए गए सभी खर्च शामिल हैं।

(m) संपत्ति का नुकासन:

प्रबंधन प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति पर नुकसान हो सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद होता है, तो प्रबंधन परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि

का अनुमान लगाता है (अर्थात परिसंपत्ति के शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोगित से अधिक)। अगर परिसंपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या इसकी नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि (जिससे परिसंपत्ति संबंधित है) वहन राशि से कम है, तो वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दी जाती है। इस कमी को नुकासन के रूप में माना जाता है और आय और व्यय के विवरण में दर्ज किया जाता है । अगर बैलेंस शीट की तिथि पर कोई संकेत मिलता है कि पहले से निर्धारित नुकासन अब मौजूद नहीं है, तो वसूली योग्य राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और ऐसी राशि को वसूली योग्य राशि के रूप में दिखाया जाता है जो अधिकतम मूल्यह्रास योग्य हिस्टोरिकल कॉस्ट के अधीन होती है। नुकसान का ऐसा रिवर्सल केवल उस स्थिति में किया जा सकता है, जिसमें, नुकसान की पहचान होने के बाद रिवर्सल का किसी इवेंट से वस्तुपरक संबंध स्थापित किया जा सके ।

(n) प्रोविज़न्स, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियां:

कंपनी किसी प्रोविज़न को तब मान्यता देती है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व हो जिसके लिए दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जाता है। किसी आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या कोई वर्तमान दायित्व होता है, पर जिसमें संसाधनों के बहिर्वाह की संभवतः आवश्यकता नहीं होती है या जहां कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं होता है। जहां कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसमें संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना नहीं है, तो कोई प्रोविज़न या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो दर्ज की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रोविज़न्स, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 3 - रिज़र्व एवं अधिशेष

(नोट 2(g) एवं 6 देखें)

विवरण	मार्च 31, 2020		मार्च 31, 2019	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अचल सम्पत्तियों के लिए रिज़र्व				
पिछले बैलेंस शीट के अनुसार	27,38,62,504		25,42,45,782	
जोड़:				
सहायता अनुदान खाते से अंतरितराशि से वर्ष के दौरान खरीदी गयी सम्पत्ति	7,50,59,635		12,98,35,870	
1917 आईटीम्स परियोजना के लिए खरीदी गई संपत्तियां (मेघालय उद्यमिता संस्थान)	-		7,31,600	
घटाव:				
वर्ष के लिए डिलिशंस की रिटन डाउन वैल्यू	4,88,609		-	
		34,84,33,530		38,48,13,252
आय और व्यय खाते में अंतरित: - सालाना मूल्यह्रास (नोट 8 देखें)		9,25,82,965		11,09,50,748
कुल		**25,58,50,565**		**27,38,62,504**

नोट 4 - आकस्मिकता के लिए रिज़र्व निधि

(नोट 27 देखें)

विवरण	मार्च 31, 2020		मार्च 31, 2019	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
आकस्मिकता के लिए रिज़र्व निधि		-		-
a) शुरूआती बैलेंस	15,26,35,781		9,34,98,775	
b) वर्ष के दौरान एडिशन्स				
- वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	65,92,751		67,76,273	
- GCCS 2017 के प्रायोजन के लिए सहायताअनुदान से अंतरण	-		4,46,30,000	
- इंस्टीटूशनल ओवरहेड्स (प्रायोजितप्रोजेक्ट्स) के लिए सहायता अनुदान से अंतरण	40,65,000		77,30,733	
- मेघालय सरकार द्वारा अंतरण (1917 iTeamsप्रोजेक्ट ओवरहेड्स)	32,65,416		-	
कुल (a+b)		16,65,58,948		15,26,35,781
घटाव:				
c)निधियों का उपयोग/व्यय				
i) राजस्व व्यय	-		-	
ii) पूंजीगत व्यय	-		-	
कुल (c)		-		-
वर्ष के अंत में बैलेंस(a+b-c)		16,65,58,948		15,26,35,781
कुल		**16,65,58,948**		**15,26,35,781**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 5 - दीर्घावधि प्रोविज़न्स

विवरण	मार्च 31, 2020 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
कर्मचारी लाभों के लिए प्रोविज़न्स		
छुट्टिओं का नकदीकरण (नोट 2(h) and 35 देखें)	1,63,81,143	1,47,91,482
कुल	**1,63,81,143**	**1,47,91,482**

नोट 6 - अन्य वर्तमान देनदारियां

विवरण	मार्च 31, 2020 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
(a) सहायता अनुदान खाता (नोट 2(g) देखें)		
पिछले बैलेंस शीट के अनुसार	57,31,34,452	43,36,81,191
जोड़:		
अचल संपत्तियों के डिलीशन पर रिजर्व से अंतरित	4,88,609	4,14,170
वर्ष में प्राप्त हुआ सहायता अनुदान (नोट 24 देखें)	2,79,58,32,542	2,76,72,03,927
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज(आयकर रिफंड पर रु.273540 के ब्याज सहित) (नोट 25 देखें)	7,03,03,613	6,52,95,667
अप्रचलित आइटम्स के निपटान से हुआ लाभ	14,37,256	-
घटाव:		
भारत सरकार को वापस की गई राशि (नोट 25 देखें)	5,89,37,634	17,36,74,601
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित (नोट 3 देखें)	7,50,59,635	12,98,35,870
आकस्मिकताओं / प्रोजेक्ट ओवरहेड्स के लिए आरक्षित निधि में अंतरित - (नोट 27 देखें)	40,65,000	5,24,67,266
आय एवं व्यय खाते **में** अंतरित (नोट 15 देखें)	1,73,02,93,193	2,33,74,82,766
	1,57,28,41,010	57,31,34,452
(b) जमाराशि		
- बयाना/अग्रिम राशि		-
- सिक्योरिटी	63,10,357	1,43,70,594
(c) अन्य वर्तमान देनदारी (अचल सम्पत्तियों के लिए)	5,24,61,568	6,98,02,524
(d) अन्य वर्त्तमान देनदारी (व्यय के लिए)	39,24,02,313	78,82,96,037
(e) अन्य देनदारियां		
- सोर्स पर काटा गया टैक्स	40,31,801	64,71,263
- GST / प्रोफेशन टैक्स	13,222	29,898
- वेतन और अदायगी	1,01,732	28,91,917
- भविष्य निधि एवं अन्य कटौतियां		4,92,591
- पहले से प्राप्त हुई आय	9,67,500	-
- अन्य	2,94,199	2,94,199
कुल	**2,02,94,23,702**	**1,45,57,83,475**

नोट 7 - अल्पावधि प्रोविज़न्स

विवरण	मार्च 31, 2020 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
कार्मचारिक लाभ के लिए प्रोविज़न्स		
छुट्टिओं का नकदीकरण (नोट 2(h) एवं 35 देखें)	11,43,134	3,05,740
आनुतोषिक	21,00,317	11,17,084
कुल	**32,43,451**	**14,22,824**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 8 - अचल सम्पत्तियां

(नोट 2(d), (e) एवं (g) देखें)

राशि (रु.)

सम्पत्तियों का विवरण	ग्रॉस ब्लॉक -लागत पर				मूल्यह्रास		नेट ब्लॉक	
	अप्रैल 1, 2019 को	वार्षिक परिवर्धन	वार्षिक कटौतियां	मार्च 31, 2020 को	अप्रैल 1, 2019 को	वार्षिक कटौतियों पर	मार्च 31, 2020 को	मार्च 31, 2019 को
(i) मूर्त सम्पत्तियां								
कंप्यूटर उपकरण	32,43,78,562	1,78,06,589	1,33,21,608	32,88,63,543	30,50,42,489	1,32,81,711	1,95,98,441	1,93,36,073
सर्वर और नेटवर्क्स	11,52,95,068	-		11,52,95,068	9,79,14,912		80,41,798	1,73,80,156
अनुसन्धान उपकरण	8,68,42,429	3,99,600	16,34,763	8,56,07,266	8,53,31,596	16,29,980	11,35,811	15,10,833
कार्यालय के लिए उपकरण	3,24,44,472	50,92,917	51,44,026	3,23,93,363	3,04,76,619	50,93,856	42,24,469	19,67,853
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	2,83,10,644	1,05,93,763	1,14,31,312	2,74,73,095	2,59,54,074	1,10,46,247	84,59,402	23,56,570
लीज होल्ड परिसर@	5,59,46,000	-	-	5,59,46,000	47,91,912		5,05,65,183	5,11,54,088
वाहन	42,55,330	-	8,69,376	33,85,954	42,13,498	8,60,682	3,87,981	41,832
कुल	**64,74,72,505**	**3,38,92,869**	**3,24,01,085**	**64,89,64,289**	**55,37,25,100**	**3,19,12,476**	**9,24,13,085**	**9,37,47,405**
पिछले वर्ष	61,36,02,043	3,42,84,632	4,14,170	64,74,72,505	48,09,65,788	4,14,170	9,37,47,405	13,26,36,255
(ii) अमूर्त सम्पत्तियां								
सॉफ्टवेयर	28,71,26,103	4,11,66,766		32,82,92,869	13,19,11,004		13,85,37,480	15,52,15,099
कापाराइट्स, पेटेंट्स और अन्य बौद्धिक सम्पदा अधिकार, सर्विस एवं संचालन अधिकार	2,49,00,000	-		2,49,00,000	-		2,49,00,000	2,49,00,000
कुल	**31,20,26,103**	**4,11,66,766**	**-**	**35,31,92,869**	**13,19,11,004**	**-**	**16,34,37,480**	**18,01,15,099**
पिछले वर्ष	21,57,43,265	9,62,82,838	-	31,20,26,103	9,41,33,738	-	18,01,15,099	12,16,09,527
कुल योग	**95,94,98,608**	**7,50,59,635**	**3,24,01,085**	**1,00,21,57,158**	**68,56,36,104**	**3,19,12,476**	**25,58,50,565**	**27,38,62,504**
पिछले वर्ष	82,93,45,308	13,05,67,470	4,14,170	95,94,98,608	57,50,99,526	4,14,170	27,38,62,504	25,42,45,782
(iii) विकासाधीन अमूर्त सम्पत्तियां							**1,54,96,712**	**9,10,38,405**
							27,13,47,277	**36,49,00,909**

1) लीजहोल्डपरिसर@ को 10.02.2011 से 95 सालोंकेलिएपरिशोधितकियागयाहै ।

2) पिछलेआंकड़ोंकोमौजूदावर्षकेवर्गीकरण/ प्रकटीकरणकेअनुरूपकरनेकेलिएपुनः वर्गित / पुनः व्यवस्थित कियागयाहै।

नोट 9 - गैर वर्तमान निवेश

विवरण	नॉमिनल वैल्यू	शेयरों की संख्या	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
	रु.		राशि (रु.)	राशि (रु.)
व्यापार निवेश (लागत पर) (नोट 33 देखें) एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. के शेयरों में निवेश	1	2,400	2,400	2,400
कुल			**2,400**	**2,400**
नोट : a) निवेश की कुल वैल्यू अनकोटेड - लागत पर			2,400	2,400
b) निवेश की वैल्यू में कोई घटाव नहीं है			-	-

नोट 10 - दीर्घावधि ऋण और पेशगी

विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनसेक्यूर्ड मानी गयी वस्तुएं		
1) पूंजीगत पेशगी / कैपिटल एडवांस	-	-
कुल	**-**	**-**

नोट **11** - अन्य गैर वर्तमान **सम्पत्तियां**

विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
सिक्योरिटी डिपॉजिट	49,40,553	70,40,171
कुल	**49,40,553**	**70,40,171**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 12 - नकद एवं नकद समकक्ष

विवरण	मार्च 31, 2020 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
नकद एवं नकद समकक्ष (नोट 2(c) देखें)		
हस्तगत रोकड़/कैश इन हैंड	2,27,655	1,11,131
बैंकों में बैलेंस - बचत और चालू खाता	8,20,66,618	5,53,77,743
बैंकों में बैलेंस - फ्लेक्सी मैच्युरिटी डिपॉज़िट्स	1,52,34,59,938	95,17,95,121
कुल	**1,60,57,54,211**	**1,00,72,83,995**

नोट 13 - अल्पावधि ऋण एवं पेशगी

विवरण	मार्च 31, 2020 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
नकद या अन्य रूप में पुनर्प्राप्त योग्य पेशगी		
अनसेक्यूर्ड मानी गयी वस्तुएं		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्मार्ट गवर्नमेंट, और अन्य संस्थाएं (नोट 2(i) देखें)	54,39,20,318	47,60,37,564
(A)	54,39,20,318	47,60,37,564
अन्य ऋण एवं पेशगी		
कर्मचारिओं को पेशगी	2,63,149	4,23,129
(B)	2,63,149	4,23,129
कुल (A + B)	**54,41,83,467**	**47,64,60,693**

नोट 14 - अन्य वर्तमान सम्पत्तियां

विवरण	मार्च 31, 2020 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
एडवांस आयकर (tds)	1,05,77,694	74,67,311
प्रीपेड खर्च	33,11,474	29,74,628
बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट्स पर अर्जित ब्याज	2,03,52,585	2,30,05,034
संस्थांनों से प्राप्य राशि	1,09,65,008	93,60,925
GST इन्पुट क्रेडिट	23,140	-
कुल	**4,52,29,901**	**4,28,07,898**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 15 - सहायता अनुदान

विवरण	मार्च 31, 2020 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (नोट 2(g), 6 एवं 24 देखें)	1,73,02,93,193	2,33,74,82,766
कुल	**1,73,02,93,193**	**2,33,74,82,766**

नोट 16 - अन्य आय

विवरण	मार्च 31, 2020 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
(a) ब्याज के रूप में आय		
- सिक्योरिटी डिपॉज़िट्सपर	-	24,613
(b) रिटन बैक सनड्राई क्रेडिट बैलेंस (कुल)	2,92,277	10,500
(c) अन्य आय	16,11,341	36,50,663
कुल	**19,03,618**	**36,85,776**

नोट 17 - अनुसन्धान और/एवं विकास व्यय

विवरण	मार्च 31, 2020 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
व्यय - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्मार्ट गवर्नमेंट और अन्य संस्थाएं (नोट 2(i) देखें)	42,31,57,064	65,33,22,235
वेतन, अलाउंस और अन्य लाभ	60,50,10,782	59,79,62,202
पिछली अवधि के खर्च	62,49,424	-
भविष्य निधि एवं अन्य फंडों के लिए अंशदान	47,70,629	55,01,136
यात्रा और परिवहन	69,11,640	64,42,189
अनुसन्धान कार्यशालाएं और सम्मलेन	4,53,31,196	11,18,05,625
व्यावसायिक शुल्क	52,27,295	37,25,933
संचार	29,90,354	26,84,505
किराया	1,22,56,228	2,27,55,990
मेंटेनन्स	98,83,329	82,64,130
ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन	91,600	8,889
कुल	**1,12,18,79,541**	**1,41,24,72,834**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
CIN : U72900MH2001NPL133410

नोट 18 - कर्मचारी लाभ खर्च

विवरण	मार्च 31, 2020 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
वेतन , अलाउंस और अन्य लाभ	13,49,33,533	28,00,24,774
भविष्य निधि एवं अन्य फंडों के लिए अंशदान	25,79,627	22,61,603
स्टाफ वेलफेयर	13,26,007	13,60,698
कुल	**13,88,39,167**	**28,36,47,075**

नोट 19 - प्रशासनिक और अन्य व्यय

विवरण	मार्च 31, 2020 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
बिजली	11,70,808	17,69,552
दरें और टैक्स	-	2,91,375
मरम्मत और रखरखाव		
- बिल्डिंग	-	-
- अन्य	97,33,357	1,22,37,142
बीमा	1,31,782	1,04,865
कार्यालय व्यय	12,39,43,671	1,40,55,426
यात्रा और परिवहन	2,69,95,003	2,10,66,346
क़ानूनी और औपचारिक शुल्क	22,82,69,912	11,34,65,728
लेखापरीक्षक भुगतान *	5,36,898	6,05,978
विज्ञापन और सम्मलेन	7,39,15,764	47,54,83,336
वेबसाइट रखरखाव खर्च	55,067	2,86,506
रिक्रूटमेंट	2,16,751	40,648
संचार	56,12,211	48,37,755
मीटिंग सम्बंधित खर्च	10,122	79,683
अन्य खर्च	5,24,363	7,24,293
अचलसम्पत्तियों पर घाटा	3,62,394	-
कुल	**47,14,78,103**	**64,50,48,633**

*लेखापरीक्षक भुगतान	मार्च 31, 2020 राशि (रु.)	मार्च 31, 2019 राशि (रु.)
लेखा परीक्षकों को भुगतान (GST सहित)		
a) लेखा परीक्षक	4,36,598	4,60,198
b) अन्य सेवाओं के लिए	1,00,300	1,18,000
c) व्यय की भरपाई		27,780
कुल	**5,36,898**	**6,05,978**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

सीआईएन: U72900MH2001NPL133410

नोट 20(A) - (i) NeGD (ii) MyGov (iii) TDDDकीबैलेंसशीटकासारांश

	विवरण	MyGov	TDDD	Total
		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2020	March 31, 2020
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	Amt (in Rs.)
I.	**इक्विटी और देनदारियां**			
1	अंशधारी निधि			
	(a) शेयर पूंजी	-		-
	(b) रिजर्व और अधिशेष	4,67,24,997.00	6,93,55,791	25,58,50,565
	(c)आकस्मिकताओं के लिए आरक्षित निधि	-	12,19,28,948	16,65,58,948
2	गैर-वर्तमान देनदारियां			
	(a) दीर्घकालिक प्रोविजन्स	-	1,63,81,143	1,63,81,143
3	वर्तमान देनदारियां			
	(a) अन्य वर्तमान देनदारियां	37,39,56,078.00	93,82,05,279	2,02,94,23,702
	(b) अल्पकालिक प्रोविजन्स	-	32,43,451	32,43,451
	कुल	**42,06,81,075**	**1,14,91,14,612**	**2,47,14,57,809**
II.	**परिसंपत्तियां**			
1	गैर-वर्तमान संपत्तियां			
	(a) अचल संपत्तियां			
	(i) मूर्तसंपत्तियां	97,04,432	6,80,29,793	9,24,13,085
	(ii) अमूर्त संपत्तियां	3,70,20,565	13,25,998	16,34,37,480
	(iii) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां	-	-	1,54,96,712
		4,67,24,997	6,93,55,791	27,13,47,277
	(b) गैर-वर्तमान निवेश	-	2,400	2,400
	(c) दीर्घावधि ऋण और पेशगी	-	-	-
	(d) अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियां	30,74,644.00	13,65,644	49,40,553
2	वर्तमान संपत्तियां			
	(a) नकद और नकद समकक्ष	35,85,90,169.00	63,12,62,729	1,60,57,54,211
	(b) अल्पावधि ऋण और पेशगी	-	42,22,28,873	54,41,83,467
	(c) अन्य वर्तमान संपत्तियां	1,22,91,265.00	2,48,99,175	4,52,29,901
	कुल	**42,06,81,075**	**1,14,91,14,612**	**2,47,14,57,809**

- - - -

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
सीआइएन : U72900MH2001NPL133410

नोट 20(B) - (i) NeGD (ii) MyGov (iii) TDDD की आय और लागत का सारांश

	विवरण	राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग	MyGov	Technology Development & Deployment Division	कुल
		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2020
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
I.	सहायता अनुदान खाते से अंतरित	87,60,67,911	30,65,99,102	54,76,26,180	1,73,02,93,193
II.	अन्य आय	41,699	-	18,61,919	19,03,618
III.	**कुल**	**87,61,09,610**	**30,65,99,102**	**54,94,88,099**	**1,73,21,96,811**
	व्यय:				
	अनुसंधान एवं/या विकास व्यय	60,70,87,294	-	51,47,92,247	1,12,18,79,541
	कर्मचारी लाभ व्यय	-	12,26,23,116	1,62,16,051	13,88,39,167
	प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	26,90,22,316	18,39,75,986	1,84,79,801	47,14,78,103
	मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय				
	- अनुसन्धान संपत्तियों पर	3,89,91,563	-	90,64,030	4,80,55,593
	- अन्य संपत्तियों पर	5,57,473	3,99,35,821	40,34,078	4,45,27,372
		3,95,49,036	3,99,35,821	1,30,98,108	9,25,82,965
	घटाव: अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से अंतरित	3,95,49,036	3,99,35,821	1,30,98,108	9,25,82,965
IV.	कुल	**87,61,09,610**	**30,65,99,102**	**54,94,88,099**	**1,73,21,96,811**
V.	व्यय पर अधिक आय (III-IV)	-	-	-	-

21 वर्ष के अंत में पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं, रु. 0; (पिछले वर्ष, रु. 0)।

22 आयकर विभाग के टीडीएस पोर्टल के अनुसार बकाया टीडीएस डिमांड के रूप में वर्ष के अंत में संभावित देयताएं रु. 32,240 हैं (पिछले वर्ष, 6,12,140 रुपये) ।

23 कंपनी को आयकर अधिनियम,1961 की धारा 10(23)(C)(iv), आदेश संख्या CCIT/MUM/10(23)(C)(iv)/66/2007-08 97, दिनांक 31.10.2007, के तहत धर्मार्थ उद्देश्य के लिए एक संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो कि वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई द्वारा निर्धारण वर्ष 2005- 2006 से वापस लेने तक जारी किया गया है और इसलिए कंपनी कर में छूट का दावा करने की हकदार है, जो कि निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A, पत्र संख्या DIT(E)/12A/36786/2002-2003 दिनांक 7 अक्टूबर 2002 के तहत पंजीकरण भी प्राप्त किया है और इसलिए वह आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत कर में छूट का दावा करने की हकदार है।

24 कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 2,79,58,32,542 रुपये का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है (पिछले वर्ष रु. 2,76,72,03,927)। सहायता अनुदान का कोई भी भाग जो अंततः अनुमोदित उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं है उसे सरकार को यथानियम सौंपा जाएगा।

अनुदान का विवरण	**वित्तीय वर्ष 2019-20** **रुपए**	**वित्तीय वर्ष 2018-19** **रुपए**
राष्ट्रीय ई-अभिशासन प्रभाग:		
एनईजीपी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षमता निर्माण योजना (चरण ii)	25,77,00,000	81,06,00,000
डीआईपी के लिए जागरूकता और संचार योजना	6,00,00,000	-
एनईजीडी 2.0 की कार्यप्रणाली	13,00,00,000	8,55,00,000
सहयोग अनुप्रयोग विकास के लिए प्राप्त निधि	-	2,28,00,000
तीव्र मूल्यांकन प्रणाली/ रैपिड असेसमेंट सिस्टम	-	1,83,25,000
राष्ट्रीय डिजिटल लॉकर	10,00,00,000	2,74,00,000
राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान केन्द्र	15,51,00,000	8,00,00,000
प्रोजेक्ट इवेंट सेल्फ 4 सोसाइटी	-	2,95,26,391
यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन (उमंग)	9,30,00,000	10,00,00,000
अनुसूचित जाति / जनजाति आधिकारिक प्रशिक्षण परियोजना	-	4,56,00,000
विश्व बैंक डीपीएल परियोजना	-	1,04,00,000
IndEA परियोजना	9,99,00,000	58,00,000
प्रोजेक्ट सीआईएसओ (CISO) प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	60,00,000
Meghraj के तहत CI CMO के लिए CB कार्यक्रम	1,50,00,000	-
LMS के माध्यम से साइबर कानून पर ऑनलाइन CB कार्यक्रम	2,00,00,000	-
साइबर सुरक्षित भारत- - CISO डीप ड्राइव प्रशिक्षण	1,00,00,000	-
नेशनल डाटा हाईवे (एनडीएच) का कार्यान्वयन	4,50,00,000	-
नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन (एनएलटीएम) – बहु भाषक परियोजना	2,95,29,000	-
राष्ट्रीय AI पोर्टल	1,00,00,000	-
कुल (A)	**1,02,52,29,000**	**1,24,19,51,391**

मेरी सरकार (MyGov):

MyGov - शासन में नागरिकों की भागीदारी के लिए एक मंच	69,27,00,000	19,74,00,000
E-Greetings और Sampark पोर्टल	11,55,39,680	19,30,36,163
संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	75,75,000	-
मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	-	14,55,86,446
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	17,17,467	11,10,951
DAVP से प्राप्त अनुदान	2,99,82,797	2,59,63,894
DWS से प्राप्त अनुदान	-	1,19,69,732
MOSPORTS से प्राप्त अनुदान	12,98,000	1,00,00,000
कुल (B)	**84,88,12,944**	**58,50,67,186**

प्रौद्योगिकी विकास और नियोजन प्रभाग (TDDD)

-TDDD	6,00,00,000	5,00,00,000
- वाराणसी आईसीटी आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम (वीआईआईडीपी) चरण II	-	29,16,300
- बिठूर में महिला सशक्तिकरण के लिए आईसीटी - "बिठूर शक्ति"	-	33,11,000
- आईसीटी द्वारा मिर्जापुर (एक पिछड़ा जिला), उत्तर प्रदेश के मझवा ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से विकास और आजीविका संवर्धन	-	54,32,000
- डिजीबुनाई (बुनाई के लिए ओपन सोर्स सीएडी टूल) का संवर्धन, फील्ड परीक्षण, और प्रशिक्षण और रखरखाव	-	49,28,000
- उत्तर पूर्व क्षेत्र (मिजोरम) के बुनकरों/डिजाइनरों और कारीगरों के लिए डिजिटल समाधानों का संवर्धन और फील्ड परीक्षण	-	27,53,000
- DST, भारत सरकार, द्वारा वाराणसी के बसनी में ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना	12,00,000	-
- इंटरएक्टिव मोबाइल इनेबल्ड सेंट्रलाइज्ड रिमोट आई केयर डिलीवरी सिस्टम का डिजाइन, विकास और नियोजन	41,14,000	-
- पूर्वोत्तर भारत के नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए डिजिटल समाधानों का अनुकूलन, संवर्धन और परिनियोजन	3,00,00,000	-
- महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ICT आधारित क्षमता निर्माण	35,40,000	-
- मिजोरम और त्रिपुरा में मोबाइल आधारित कृषि सलाह प्रणाली (m4agri)	2,01,88,000	-
- श्रवण बाधितों के लिए विजुअल स्पीच ट्रेनिंग सिस्टम - चरण 2 (VSTS2)	22,50,000	-
- बनारसी साड़ियों की बुनाई के लिए ओपन सोर्स सीएडी (कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग) टूल	4,98,598	-
कुल (C)	**12,17,90,598**	**6,93,40,300**
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना (D)	80,00,00,000	81,08,45,050
सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (E)	-	6,00,00,000
कुल योग	**2,79,58,32,542**	**2,76,72,03,927**

25 वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर प्राप्त ब्याज के रूप में 7,03,03,613 रुपये (पिछले वर्ष रु. 6,52,95,667) की राशि सहायता अनुदान खाते में जमा की गई है। अर्जित/उपार्जित ब्याज को कंपनी द्वारा सहायता अनुदान खाते में उसी वर्ष में जमा किया गया है जिस वर्ष इसे उपचय-आधार पर अर्जित/उपार्जित किया गया। कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 4,00,31,561/- (पिछले वर्ष रु. 4,82,77,176) के ब्याज सहित रु. 5,89,37,634 (पिछले वर्ष रु. 17,36,74,601) का सहायता अनुदान वापस (रिफंड) किया है।

26 सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार, सहायता अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों का निपटान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता है। इन परिसंपत्तियों का उपयोग सिर्फ उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है जिनके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, अगर कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो ऐसी परिसंपत्तियां इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वापस कर दी जाएंगी, जो कि इन परिसंपत्तियों को बेचने या अन्यथा निपटान के लिए स्वतंत्र होंगी।

27 प्रायोजित परियोजनाओं से ओवरहेड्स के रूप में प्राप्त धन सहित अन्य आय का उपयोग कर कंपनी द्वारा एक आरक्षित/बचत निधि बनाई गई है जो कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रत्याशित लागत, भविष्य के रखरखाव की लागत, या फिर कंपनी के हित में किसी अन्य उद्देश्य के लिए होगी। परियोजनाओं से ओवरहेड्स के रूप में प्राप्त धन का उपयोग कर चालू वर्ष के दौरान कुल 73,30,416 रुपये की राशि आरक्षित/बचत निधि में अंतरित की गई है। चूंकि सावधि जमा राशि को विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, तो चल सावधि जमा राशि पर अर्जित 65,92,751 रुपये का आनुपातिक ब्याज आरक्षित निधि में जमा किया गया है।

28 7 संस्थानों से प्राप्त खातों के लेखा परीक्षित विवरण के आधार पर TDDD ने 51,88,201रुपये कुल व्यय, 59,223 रुपये का अर्जित ब्याज ,और 21,67,888 रुपये की अचल संपत्ति लेखाबद्ध की है। कुल 9,63,757 रुपये के व्यय के बारे में 2 संस्थानों से प्राप्त व्यय का विवरण और 2,17,455 रुपये की अचल संपत्ति को संस्थान के अधिकृत कर्मियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और ये खाते/विवरण संबंधित संस्थान के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा ऑडिट के अधीन हैं। 'ऋण और पेशगी' के तहत दिखाई गयी और एक वर्ष से अधिक समय से बकाया कुल रु. 8,61,558 की शेष राशि के पुष्टि/उपयोग संबंधित प्रमाण पत्र 3 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना ने i) कुल खर्च 16,92,60,334 रुपये और ब्याज अर्जित 12,93,732 रुपये (44 संस्थानों से प्राप्त खातों के लेखा परीक्षित/ऑडिट विवरण के आधार पर) ii) कुल खर्च 24,67,71,839 रुपये और अर्जित ब्याज रु. 13,10,453 (43 संस्थानों से प्राप्त खातों के प्रमाणित विवरण के आधार पर) लेखाबद्ध किये हैं और ये खाते/विवरण संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा ऑडिट के अधीन हैं। 'ऋण और पेशगी' के तहत दिखाई गयी और एक वर्ष से अधिक समय से बकाया कुल 9,73,71,753 रुपये की शेष राशि के पुष्टि/उपयोग संबंधित प्रमाण पत्र 35 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) को कुल रु. 5,75,18,630/- की शेष राशि की पुष्टि/उपयोग संबंधित प्रमाणपत्र एक वर्ष से अधिक समय से निम्नलिखित संस्थानों की ओर से प्राप्त नहीं हुए हैं।

a) परिचालन और इंफ्रा घटकों के लिए क्षमता निर्माण चरण II के तहत राज्य – रु. 5,11,55,445/-
b) इन्फो टेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड – रु. 1,00,000/-
c) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम – रु. 15,00,000/-
d) भारतीय खेल प्राधिकरण – रु. 15,46,239
e) निदेशक/सदस्य सचिव, SCITeG – रु. 10,00,000/-
f) प्रबंध निदेशक, तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सोसाइटी – रु. 13,50,000/-
g) A&C के तहत कार्यशाला आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय
– रु. 8,66,946/-

वित्तीय विवरण इन खर्चों और अचल संपत्तियों के विवरण के आधार पर तैयार किए गए हैं।

29 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 94,850 रु. के डब्ल्यूडीवी सहित रु. 2,01,00,397 की लागत वाले अप्रचलित और अनुपयोगी कंप्यूटर/उपकरणों का निपटान रु. 8,78,704 में, रु.8,694 के डब्ल्यूडीवी सहित रु.8,69,376 की लागत वाले अनुपयोगी मोटर कार का निपटान 23,600 रुपये में, और 22,671 रुपये के डब्ल्यूडीवी सहित 65,20,289 रुपये की लागत वाले फर्नीचर और फिटिंग का निपटान 6,64,766 रुपये में किया है। 14,37,256 रुपये का लाभ सहायता अनुदान खाते में जमा कर दिया गया है।

30 कंपनी ने परियोजना के पूरा होने के बाद सी-डॉट परिसर, छतरपुर में आईटीआरए परियोजना के लिए किराए पर लिए गए कार्यालय परिसर को सरेंडर कर दिया है। 3,62,394/- रुपये के डब्ल्यूडीवी सहित 49,11,023 रुपये की अचल वस्तुओं को सी-डॉट को सौंप दिया गया है। आय और व्यय खाते में 3,62,394 रुपये का नुकसान अंकित किया गया है।

31 पूर्व के वर्षों में चल रहे पूंजीगत कार्य के तहत दिखाई गई रु. 7,18,26,806/- की राशि को अब सुधार कर राजस्व व्यय में अंतरित कर दिया गया है।

32 **लागत (विदेशी मुद्रा में)**

		वर्षांत मार्च 31, 2020	वर्षांत मार्च 31, 2019
i)		**रुपए**	**रुपए**
ii)	यात्रा खर्च	4,23,477	36,64,016
iii)	उपकरण	-	37,81,340
	प्रचार-प्रसार खर्च	2,02,134	-
	कुल	**6,25,611**	**74,45,356**

लागत (विदेशी मुद्रा में) में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा उपकरणों पर किया गया व्यय भी शामिल है।

33 कर्मचारी लागत में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया रु. 0 पारिश्रमिक (पिछले वर्ष, रु. 0) शामिल हैं।

34 डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के सहयोग से आईआईटी, बॉम्बे द्वारा विकसित एक्वा सॉफ्टवेयर लाइसेंस का उपयोग करने के लिए कंपनी ने दिनांक 17 सितंबर, 2008 को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था। उक्त एमओयू के अनुसार, कंपनी को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के 2400 शेयर (प्रति शेयर 1 रुपये की फेस वैल्यू के साथ) प्राप्त हुए थे जो कि नॉन-करंट इंवेस्टमेंट्स के तहत दर्ज हैं।

35 **कर्मचारी लाभ**

कंपनी (लेखा मानक), नियम 2006 के अनुसार, निम्नलिखित विवरण दिए गए हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएं

A. ग्रेच्युटी फंड में अंशदान

कर्मचारियों के लिए कंपनी के ग्रेच्युटी फंड का विवरण नीचे दिया गया है जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 31 मार्च, 2020 को प्रमाणित किया गया है और जिस पर लेखा परीक्षकों का कार्य आधारित है।

		वित्त वर्ष 2019-20	**वित्त वर्ष 2018-19**
i	मूल्यांकन विधि	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड
ii	बीमांकिक अनुमान		
	मोर्टेलिटी दर	**LIC (2006-08) अल्टीमेट**	**LIC (2006-08) अल्टीमेट**
	निकासी दर	1%	1%
	छूट दर	7.25%	7.5%
	वेतन वृद्धि	5.00%	5.00%
iii	मूल्यांकन के परिणाम	रुपये	रुपये
a.	पिछले सेवा लाभ का PV	96,22,049	84,01,319
b.	वर्तमान सेवा लागत	4,57,034	5,55,762
c.	कुल सर्विस ग्रेच्युटी	3,17,14,752	3,14,64,803
d.	उपार्जित ग्रेच्युटी	1,38,26,908	1,23,20,547

B. छुट्टी नकदीकरण

कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान में (संचित अवकाश नकदीकरण के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार किए गए प्रावधान के लिए) 26,66,791 रुपये (पिछले वर्ष 39,24,142 रुपये) और (अक्यूरल बेसिस पर आय और व्यय के विवरण में से डेबिट किए गए संविदात्मक कर्मचारियों की देयता के लिए) 95,861 रुपये (पिछले वर्ष 1,20,571रुपये) शामिल हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कंपनी के खातों में दर्शाए अनुसार कुल देयता रु. 1,66,01,835 (पिछले वर्ष रु. 1,39,70,436) है। कंपनी ने देयता पूरी नहीं की है।

परिभाषित अंशदान योजनाएं:- कंपनी ने भविष्य निधि/पेंशन निधि के लिए रु. 26,85,138 (पिछले वर्ष रु. 32,94,447) मान्य किये हैं।

36 सूक्ष्म और लघु उद्यम देय राशि

कंपनी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं से उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है और इसलिए :
ए) लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को देय और बकाया राशि बी) वर्ष के दौरान भुगतान किया गया ब्याज सी) लेखा वर्ष के अंत में देय ब्याज और डी) लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अभुक्त ब्याज नहीं दिया गया है।

37 कंपनी एक छोटी और मध्यम आकार की कंपनी (एसएमसी) है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 (यानी, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006) के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के संबंध में सामान्य निर्देशों में परिभाषित है और जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन तक एक लेनदेन प्रावधान के रूप में माना जाएगा। तदनुसार, कंपनी ने छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया है।

38 प्राप्य और देय राशि (यदि कोई हो) पुष्टिकरण, रेकन्सीलिएशन, और उसके अड़जस्टमेंट्स के अधीन है।

39 पिछले वर्ष के आंकड़ों को (जहां कहीं आवश्यक हो) चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

नोट नंबर 1 से 36 तक हस्ताक्षर

यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या: 111727W/W100101
UDIN: 21116172AAAAWZ4716

सीए राहुल रिंगे
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 116172

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : अक्टूबर 28, 2021

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

(अभिषेक सिंह)
प्रबंध निदेशक और सीईओ
DIN : 02645352

(अजय प्रकाश साहनी)
निदेशक
DIN : 03359323

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन एनेक्सी, 6 CGO काम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली —110003
+91 (11) 24360199, 24301756, 24303500,
24303555, 24303599